

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख , मध्यप्रदेश भोपाल
(शाखा- भू प्रबंध)

सी-ब्लॉक, द्वितीय तल, लिंक रोड नं.-2, वन भवन, तुलसी नगर, भोपाल- 462003

क्रमांक/एफ-5/E.File-0107/ I/998847/2026

भोपाल , दिनांक 08-05-2026

प्रेषक:-

एच. एस. मोहनता, (भा.व.से.)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) एवं
नोडल अधिकारी वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
मध्यप्रदेश, भोपाल ।

प्रति,

वन महानिरीक्षक,
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
इंदिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोरबाग रोड,
नई दिल्ली-110003

विषय:-बैतूल एवं होशंगाबाद (नर्मदापुरम) जिले में जुझारपुर से ढोढरामोहर के मध्य तीसरी रेलवे लाईन के निर्माण हेतु उत्तर बैतूल वनमण्डल की 1.2496 हेक्टेयर वनभूमि एवं होशंगाबाद वनमण्डल की 6.7861 हेक्टेयर कुल 8.0357 हेक्टेयर वनभूमि सेन्ट्रल रेलवे, नागपुर डिवीजन बैतूल को उपयोग पर देने बावत् । (ऑनलाईन प्रकरण क्रमांक/FP/MP/RAIL/150074/2021)
संदर्भ:-भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र दिनांक 16.02.2026

--0--

कृपया उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा आपने प्रकरण में सैद्धांतिक स्वीकृति जारी करने के पूर्व 08 बिन्दुओं पर जानकारी चाही गई है। चाही गई जानकारी का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र०	बिन्दु	प्रतिवेदन
1	The proposed 3rd railway line is a linear project; however, the State Government has submitted the proposal in a fragmented manner. The Regional Office, Bhopal sought justification for the isolated forest land polygons proposed for diversion. In response, the State Government informed that the forest patches were jointly inspected with the Forest Department and only those patches deficient in width for construction of the 3rd railway line were proposed for diversion. The State Government further stated that the forest patches not included in the diversion proposal are under Railway ownership; however, no documentary evidence has been furnished in support of this claim. Moreover, as per DSS analysis and the forest compartment boundary available therein, it is observed that the User Agency has not submitted complete KML files for the forest land falling within the forest compartment. As a result, the proposed KML file of the forest land appears disjointed and non-contiguous. The State	आवेदक संस्थान रेलवे विभाग द्वारा KML File पोर्टल में अपलोड कर दिया गया है।

	Government is, therefore, requested to furnish correct and complete details in this regard.	
2	The State Government has further submitted that a portion of the land proposed for diversion is under Railway ownership. The instant proposal pertains to the construction of a 3rd railway line, whereas two railway lines have already been established. The State Government shall clarify whether the establishment of the existing railway lines involved any violation of the provisions of the Van (Sanrakshan evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980. 6-MPR027/2023-BHO I/160779/2026 Further, a detailed chronology of the establishment of the existing railway lines, along with documentary evidence and details of approvals, if any, granted earlier by the Ministry, is required to be submitted by the State Government.	वनमण्डलाधिकारी ने प्रतिवेदन अपने पत्र दिनांक 01.04.2026 से प्रस्तुत किया गया है, जो मुख्य वन संरक्षक, नर्मदापुरम द्वारा ऑनलाईन पोर्टल पर की TimeLine Details में EDS Reply दिनांक 04.05.2026 पर अपलोड है।
3	The proposed area falls within the Satpura-Melghat Tiger Corridor. The State Government was requested to furnish details regarding the extent of the proposal area falling within the tiger corridor. In response, the State Government submitted fragmented patches falling within the corridor for Forest Clearance. Further, the State Government has submitted a proposal for diversion of 287.64 hectares for NBWL clearance. The State Government is requested to provide the present status of the wildlife clearance proposal.	आवेदक सस्थान द्वारा वन्यप्राणी अनुमति हेतु ऑनलाईन प्रकरण क्रमांक/WL/MP/RAIL/468116/2024 से आवेदन किया गया है, जो भारत सरकार के स्तर पर विचाराधीन है।
4	The REC sought No Objection Certificates (NoCs) from NHAI for locations where the proposed railway alignment intersects with NHAI infrastructure. The State Government has submitted the NoC from NHAI. However, details of any prior approvals granted by the Ministry to NHAI, if applicable, are also required to be submitted by the State Government.	वन मण्डलाधिकारी, नर्मदापुरम द्वारा अपने पत्र दिनांक 01.04.2026 से प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है, जो मुख्य वन संरक्षक, नर्मदापुरम द्वारा ऑनलाईन पोर्टल पर की TimeLine Details में EDS Reply दिनांक 04.05.2026 पर अपलोड है।
5	The State Government has proposed Compensatory Afforestation (CA) over an area of 20.00 ha. However, as per DSS analysis, the CA area is observed to be 30.103 ha. Accordingly, the State Government is required to submit the correct CA details, along with the complete CA suitability certificate, and upload the same in Part-II of the PARIVESH portal.	वन मण्डलाधिकारी, उत्तर बैतूल द्वारा अपने पत्र दिनांक 22.04.2026 से अवगत कराया है कि रेलवे विभाग द्वारा आवेदित संशोधित क्षेत्र 8.0357 हेक्टेयर का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, जिसके एवज में 16.0714 हेक्टेयर रकबे में 16071 पौधों हेतु क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना प्रस्तावित की गई है, जो 20 हेक्टेयर कुल क्षेत्र में से वृक्षारोपण क्षेत्र 16.0714 हेक्टेयर है, जो पत्र के साथ संलग्न है।
6	As per satellite imagery, pre-plantation work is visible on the proposed CA land. Accordingly, the State Government is requested to submit details of the plantation work, if any, carried out by the State	वन मण्डलाधिकारी, उत्तर बैतूल द्वारा क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु प्रस्तावित वनक्षेत्र की KML file उपलब्ध कराई

	Forest Department.	गई है, जो पत्र के साथ सलग्न प्रेषित है।
7	The State Government has reported a violation of the Van (Sanrakshan evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 over an area of 0.0366 ha. Accordingly, the State Government is required to submit a detailed Action Taken Report in accordance with the provisions of the said Adhiniyam against the UA and Forest Department officials, who were not able to prevent the non-forestry use of forest land.	मुख्य वन संरक्षक, बैतूल के पत्र क्रमांक/1745 दिनांक 18.12.2025 से वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत हुए उल्लंघन के संबंध में प्रतिवेदन प्रेषित किया गया है, जो ऑनलाईन पोर्टल पर की TimeLine Details में EDS Reply दिनांक 18.12.2025 से पोर्टल में अपलोड है।
8	The User Agency has not uploaded the KML files for 11.1926 ha of non-forest land involved in the proposal on the PARIVESH portal. Consequently, the complete layout of the proposed railway line cannot be depicted. The State Government is, therefore, required to submit the same.	आवेदक संस्थान रेलवे विभाग द्वारा परियोजना में प्रभावित होने वाली वन एवं राजस्व क्षेत्र की पूर्ण KML File ऑनलाईन पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है।

अतः प्रकरण में भारत सरकार द्वारा चाहे अनुसार जानकारी की पूर्ति हो गई है कृपया प्रकरण की सैद्धांतिक स्वीकृति जारी करने का कष्ट करें।
सलग्न:- उपरोक्तानुसार।

Digitally signed by
Hari Shankar Mohanta
Date: 08-05-2026
13:20:44
ADDITIONAL PRINCIPAL CHIEF
CONSERVATOR OF FORESTS

प्रतिलिपि:-

1 - उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन, लिंक रोड नं: 3, रविशंकर नगर, मध्यप्रदेश, भोपाल की भेजकर लेख है कि ऑनलाईन पोर्टल में भारत सरकार, नई दिल्ली की ओर प्रेषित करने हेतु विकल्प नहीं होने के कारण ऑनलाईन प्रकरण भेजा जाना संभव नहीं है। कृपया आप अपने स्तर से ऑनलाईन प्रस्ताव भारत सरकार, नई दिल्ली की ओर भेजने का कष्ट करें।

2- मुख्य वन संरक्षक(क्षेत्रीय), नर्मदापुरम/बैतूल वनवृत्त, मध्यप्रदेश।

3- वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, उत्तर बैतूल/नर्मदापुरम, मध्यप्रदेश।

4- उप मुख्य अभियंता(निर्माण), मध्य रेलवे, नागपुर डिवीजन बैतूल मध्यप्रदेश।
की ओर सूचनार्थ प्रेषित

ADDITIONAL PRINCIPAL CHIEF
CONSERVATOR OF FORESTS

कार्यालय वनमंडलाधिकारी (सामान्य) वनमंडल नर्मदापुरम

Phone No. (07574-254178, 254808)

E-Mail -dfot.hbd@mp.gov.in

#DocumentNumber#/माचि/

नर्मदापुरम दिनांक #ApprovedDate#

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (भू प्रबंध)
मध्य प्रदेश भोपाल

विषय :- बैतूल एवं होशंगाबाद (नर्मदापुरम) जिले में जुझारपुर से ढोडरामोहार के मध्य तीसरी रेलवे लाइन के निर्माण हेतु उत्तर बैतूल वनमंडल की 1.2496 हेक्टेयर वनभूमि एवं होशंगाबाद वनमंडल की 6.7861 हेक्टेयर कुल 8.0357 हेक्टेयर वनभूमि सेन्ट्रल रेलवे, नागपुर डिविजन बैतूल को उपयोग पर देने बाबत।
FP/MP/RAIL/150074/2021

संदर्भ :- 1.भारत सरकार, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल का पत्र क्र/6-एमपीआर/027/2023-बीएचओ(E-217728) दिनांक 16.02.2026
2.आपका पत्र क्रमांक/एफ-5/1211 दिनांक 18.02.2025
2.उप मुख्य अभियंता (निर्माण) मध्य रेलवे, नागपुर डिविजन बैतूल मध्य प्रदेश का पत्र क्रमांक/ ET-NGP/3rd Line/Forest/ दिनांक 20.03.2026

---00---

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि इटारसी एवं नागपुर रेलवे लाइन के अन्तर्गत जुझारपुर से चिचौड़ा के बीच प्रस्तावित तृतीय रेलवे लाइन प्रस्ताव अंतर्गत भारत सरकार के संदर्भित पत्र द्वारा 08 बिंदुओं पर जानकारी चाही गई है।

इस संबंध में उप मुख्य अभियंता (निर्माण) मध्य रेलवे, नागपुर डिविजन बैतूल मध्य प्रदेश के संदर्भित पत्र द्वारा 08 बिंदुओं की जानकारी प्रस्तुत की है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत जानकारी पर अधोहस्ताक्षरकर्ता का अभिमत निम्नानुसार है-

क्र	भारत सरकार द्वारा चाही गई जानकारी	आवेदक विभाग द्वारा प्रस्तुत जानकारी	अधोहस्ताक्षरकर्ता का अभिमत
1	The proposed 3rd railway line is a linear project; however, the State Government has submitted the proposal in a fragmented manner. The Regional Office, Bhopal sought justification for the isolated forest land polygons proposed for diversion. In response, the State Government informed that the forest patches were jointly inspected with the Forest Department and only those patches deficient in width for construction of the 3rd railway line were proposed for diversion. The State Government further stated that the forest patches not included in the diversion proposal are under Railway ownership; however, no documentary evidence has been furnished in support of this claim. Moreover, as per DSS analysis and the forest compartment boundary available therein, it is observed that the User Agency has not submitted complete KML files for the forest land falling within the forest compartment. As a result, the proposed KML file of the forest land appears disjointed and non-contiguous. The State Government is, therefore, requested to furnish correct	In this regard, it is submitted that vide reference letter No. 3 dated 22/05/2024, 25 Nos. of Railway Land Plans duly certified by the Revenue Department were submitted by the Railway, the hard copies of which have been deposited in the office of APCCF (Land Management), Bhopal. Further, the KML file showing the existing ROW of Railway owned land from Jujharpur to Dodharamohar is also submitted herewith for kind perusal.	आवेदक विभाग द्वारा रेलवे विभाग के मानचित्र उपलब्ध कराये है परंतु रेलवे की भूमि के मालिकाना हक से संबंधित कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराये है। आवेदक विभाग द्वारा disjointed and non-contiguous एरिया की KML परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत की है। वनक्षेत्र से गुजर रही पूर्ण रेलवे लाइन की KML प्रस्तुत नहीं की है।

	and complete details in this regard.		
2	The State Government has further submitted that a portion of the land proposed for diversion is under Railway ownership. The instant proposal pertains to the construction of a 3 rd railway line, whereas two railway lines have already been established. The State Government shall clarify whether the establishment of the existing railway lines involved any violation of the provisions of the Van (Sanrakshan evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980. Further, a detailed chronology of the establishment of the existing railway lines, along with documentary evidence and details of approvals, if any, granted earlier by the Ministry, is required to be submitted by the State Government.	In this regard, it is submitted that vide reference letter No. 4 dated 14/08/2023, it was mentioned at Point No. 09 that the existing Track No. 1 (Up Main Line) from Nagpur to Itarsi was constructed in the year 1919 and Track No. 2 (Down Main Line) was constructed in the year 1986. It is further submitted that the construction of both the above railway lines were carried out within the Railway owned land / existing Railway Right of Way (ROW).	आवेदक विभाग द्वारा वनसंरक्षण अधिनियम 1980 के बाद 1986 में निर्मित ट्रेक नम्बर 2 (Down Main Line) की अनुमति के कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये हैं।
3	The proposed area falls within the Satpura-Melghat Tiger Corridor. The State Government was requested to furnish details regarding the extent of the proposal area falling within the tiger corridor. In response, the State Government submitted fragmented patches falling within the corridor for Forest Clearance. Further, the State Government has submitted a proposal for diversion of 287.64 hectares for NBWL clearance. The State Government is requested to provide the present status of the wildlife clearance proposal.	In this regard, it is submitted that the related wildlife proposal (WL/MP/RAIL/468116/2024) was discussed in the meeting held on 19/01/2026. The Standing Committee of NBWL decided to constitute a Site Inspection Committee comprising representatives from the Ministry, Wildlife Institute of India(WII), National Tiger Conservation Authority (NICA), State Forest Department, and the User Agency for appraisal of the proposal, and the proposal was deferred. Subsequently, a joint inspection was carried out on 15/03/2026 in the presence of all the above-mentioned members, and the report of the said inspection was received on 20/03/2026. In compliance with the recommendations given in the report, necessary modifications will be carried out in the wildlife overpass based on the study conducted by SFRI.	सहमत। Wildlife proposal (WL/MP/RAIL/468116/2024) के संबंध में दिनांक 15.03.2026 को संयुक्त निरीक्षण किया गया था परंतु अधोहस्ताक्षरकर्ता को संयुक्त निरीक्षण के बारे में बिल्कुल समय पर बताया गया जिससे संयुक्त निरीक्षण में उपस्थित नहीं हो सके। संयुक्त निरीक्षण के बाद संयुक्त निरीक्षण में उपस्थित समस्त अधिकारियों के साथ मीटिंग में अधोहस्ताक्षरकर्ता उपस्थित थे। संयुक्त निरीक्षण की रिपोर्ट एवं SFRI की रिपोर्ट इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुई है।
4	The REC sought No Objection Certificates (NoCs) from NHAI for locations where the proposed railway alignment intersects with NHAI infrastructure. The State Government has submitted the NoC from NHAI. However, details of any prior approvals granted by the Ministry to NHAI, if applicable, are also required to be submitted by the State Government.	In this regard, it is submitted that wherever the proposed railway alignment intersects with NHAI infrastructure, the No Objection Certificate (NoC) has been obtained by the Railway from NHAI vide letter No. NHAUPU/BPL/NII-69/Itarsi-Betul/2023/24045 dated 23/10/2023. Further, the information regarding any prior approval granted by the Ministry to NHAI, is not available with Railway.	प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) एवं मुख्य (वन्यजीव) अभिरक्षक म.प्र. भोपाल पृष्ठांकन क्रमांक / व.त.अ.1 / म.प्र.रा.व.प्रा.बो. / 121/ 25.07/ 9768 दिनांक 17.11.2025 द्वारा सतपुड़ा-मेलघाट टाइगर कॉरिडोर के अंतर्गत इटारसी-बैतूल एन.एच.-46 (पुराना एन.एच.-69) को चार लेन चौड़ीकरण हेतु नर्मदापुरम वनमण्डल की 44.945 हे. तथा उत्तर बैतूल वनमण्डल की 56.525 हेक्टेयर कुल 101.47 हेक्टेयर प्रभावित वनभूमि भारतीय राष्ट्रीय

			राजमार्ग प्राधिकरण, भोपाल को उपयोग पर देने की वन्यप्राणी अनुमति की सैद्धान्तिक वन्यजीव अनुमति सशर्त प्रदान की गई है।(छायाप्रति संलग्न है) उक्त अनुमति के आधार पर NHAI द्वारा रेल्वे विभाग को प्रदान की गई NOC की कोई प्रति इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है।
5	The State Government has proposed Compensatory Afforestation (CA) over an area of 20.00 ha. However, as per DSS analysis, the CA area is observed to be 30.103 ha. Accordingly, the State Government is required to submit the correct CA details, along with the complete CA suitability certificate, and upload the same in Part-II of the PARIVESH portal.	This matter pertains to DFO (North), Betul.	यह बिंदु वनमंडल (उत्तर) बैतूल से संबंधित है।
6	As per satellite imagery, pre-plantation work is visible on the proposed CA land. Accordingly, the State Government is requested to submit details of the plantation work, if any, carried out by the State Forest Department.	This matter pertains to DFO (North), Betul.	यह बिंदु वनमंडल (उत्तर) बैतूल से संबंधित है।
7	The State Government has reported a violation of the Van (Sanrakshan evam Samvardhan) Adhinyam, 1980 over an area of 0.0366 ha. Accordingly, the State Government is required to submit a detailed Action Taken Report in accordance with the provisions of the said Adhinyam against the UA and Forest Department officials, who were not able to prevent the non-forestry use of forest land.	In this regard, it is submitted that a meeting was held on 17/12/2025 between DFO (North), Betul and the Executive Engineer (Construction), Betul, Railway. During the said meeting, the land records sought by DFO (North), Betul were submitted by the Railway in the office of DFO (North), Betul on the same date i.e. 17/12/2025 .	यह बिंदु वनमंडल (उत्तर) बैतूल से संबंधित है।
8	The User Agency has not uploaded the KML files for 11.1926 ha of non-forest land involved in the proposal on the PARIVESH portal. Consequently, the complete layout of the proposed railway line cannot be depicted. The State Government is, therefore, required to submit the same.	The details of the KML file of the non-forest land under Railway are provided at Point No. 1 , and the same is being enclosed herewith and forwarded along with this letter.	आवेदक विभाग द्वारा परियोजना में प्रभावित होने वाली फॉरेस्ट लैंड एवं नॉन फॉरेस्ट लैंड की कम्पलीट KML वनमण्डल कार्यालय में उपलब्ध नहीं कराई है।

संलग्न- उपरोक्तानुसार

वनमंडलाधिकारी

वनमण्डल (सामान्य) नर्मदापुरम

#DocumentNumber#/माचि/

नर्मदापुरम दिनांक#ApprovedDate#

- प्रतिलिपि:-** 1 मुख्य वनसंरक्षक, नर्मदापुरम वृत्त नर्मदापुरम की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2 उप मुख्य अभियंता (निर्माण) मध्य रेल्वे, नागपुर डिवीजन बैतूल मध्य प्रदेश की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

वन मंडल अधिकारी
वनमंडल (सामान्य) नर्मदापुरम

कार्यालय वनमंडलाधिकारी उत्तर बैतूल (सा0) वनमंडल

07141-234204(कार्यालय), E-Mail -- dfotnbetul@mp.gov.in

क्रमांक/मा0चि0/2026/ 522
प्रति,

बैतूल, दिनांक/ 22/04/2026

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
(भू-प्रबंध)
म.प्र. भोपाल

विषय :-

बैतूल एवं होशंगाबाद (नर्मदापुरम) जिले में जुझारपुर से ढोढरामोहार के मध्य तीसरी रेल्वे लाईन के निर्माण हेतु उत्तर बैतूल वनमंडल की 1.2496 हे. वनभूमि एवं होशंगाबाद वनमंडल की 6.7861 हे. कुल 8.0357 हे. वनभूमि सेन्ट्रल रेल्वे, नागपुर डिवीजन बैतूल को उपयोग पर देने बाबत। (ऑनलाईन प्रकरण क्रमांक FP/ MP/ RAIL/ 150074 / 2021)

संदर्भ :-

- 1.- भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली का पत्र दिनांक 16.02.2026
- 2- आपका पत्र क्रमांक/ एफ-5/ 1211 दिनांक 18.02.2026

--00--

विषयांतर्गत निवेदन है कि आपके संदर्भित पत्र के साथ संलग्न भारत सरकार नई दिल्ली के संदर्भित पत्र दिनांक 16.02.2026 में उल्लेखित 08 बिंदुओं की जानकारी चाही गई है, वनमंडल से संबंधित बिंदुओं की जानकारी निम्नानुसार सम्प्रेषित है:-

बिंदु क्रमांक		वनमंडल की टीप
1	2	3
i.	The proposed 3rd railway line is a linear project; however, the State Government has submitted the proposal in a fragmented manner. The Regional Office, Bhopal sought justification for the isolated forest land polygons proposed for diversion. In response, the State Government informed that the forest patches were jointly inspected with the Forest Department and only those patches deficient in width for construction of the 3rd railway line were proposed for diversion. The State Government further stated that the forest patches not included in the diversion proposal are under Railway ownership; however, no documentary evidence has been furnished in support of this claim. Moreover, as per DSS analysis and the forest compartment boundary available therein, it is observed that the User Agency has not submitted complete KML files for the forest land falling within the forest compartment. As a result, the proposed KML file of the forest land appears disjointed and non-contiguous. The State Government is, therefore, requested to furnish correct and complete details in this regard.	आवेदक विभाग द्वारा रेल्वे की भूमि के मालिकाना हक से संबंधित कोई दस्तावेज वनमंडल कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराये है। आवेदक विभाग द्वारा disjointed and non-contiguous एरिया की KML परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत की है। वनक्षेत्र से गुजर रही पूर्ण रेल्वे लाईन की KML प्रस्तुत नहीं की गई है।

<p>ii.</p>	<p>The State Government has further submitted that a portion of the land, proposed for diversion is under Railway ownership. The instant proposal pertains to the construction of a 3rd railway line, whereas two railway lines have already been established. The State Government shall clarify whether the establishment of the existing railway lines involved any violation of the provisions of the Van (Sanrakshan evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980.</p> <p>Further, a detailed chronology of the establishment of the existing railway lines, along with documentary evidence and details of approvals, if any, granted earlier by the Ministry, is required to be submitted by the State Government.</p>	<p>आवेदक विभाग द्वारा वनसंरक्षण अधिनियम 1980 के बाद 1986 में निर्मित ट्रेक नम्बर 2 (Down Main Line) की अनुमति के कोई अभिलेख वनमंडल कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किये गये है।</p>
<p>iii.</p>	<p>The proposed area falls within the Satpura-Melghat Tiger Corridor. The State Government was requested to furnish details regarding the extent of the proposal area falling within the tiger corridor. In response the State Government submitted fragmented patches falling within the corridor for Forest Clearance. Further, the State Government has submitted a proposal for diversion of 287.64 hectares for NBWL clearance. The State Government is requested to provide the present status of the wildlife clearance proposal.</p>	<p>Wildlife proposal (WL/ MP/ RAIL/ 468116/ 2024) के संबंध में वनमंडल द्वारा साईट इन्पेक्शन रिपोर्ट दिनांक 08.10.2025 को परिवेश पोर्टल पर अपलोड की गई थी।</p> <p>ऑनलाईन प्रस्ताव वर्तमान में शासन स्तर पर लंबित होना प्रदर्शित हो रहा है।</p>
<p>iv.</p>	<p>The REC sought No Objection Certificates (NoCs) from NHAI for locations where the proposed railway alignment intersects with NHAI infrastructure. The State Government has submitted the NoC from NHAI. However, details of any prior approvals granted by the Ministry to NHAI, if applicable, are also required to be submitted by the State Government.</p>	<p>प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) एवं मुख्य (वन्यजीव) अभिरक्षक म.प्र. भोपाल पृष्ठांकन क्रमांक/ व.त.अ.1 / म.प्र.रा.व.प्रा.बो. / 121/ 25.07/ 9768 दिनांक 17.11.2025 द्वारा सतपुड़ा-मेलघाट टाइगर कॉरिडोर के अंतर्गत इटारसी-बैतूल एन.एच.-46 (पुराना एन.एच.-69) को चार लेन चौड़ीकरण हेतु नर्मदापुरम वनमण्डल की 44.945 हे. तथा उत्तर बैतूल वनमण्डल की 56.525 हेक्टेयर कुल 101.47 हेक्टेयर प्रभावित वनभूमि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भोपाल को उपयोग पर देने की वन्यप्राणी अनुमति की सैद्धान्तिक वन्यजीव अनुमति सशर्त प्रदान की गई है। (छायाप्रति संलग्न है) उक्त अनुमति के आधार पर NHAI द्वारा रेलवे विभाग को प्रदान की गई NOC की कोई प्रति इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है।</p>

<p>v.</p>	<p>The State Government has proposed Compensatory Afforestation (CA) over an area of 20.00 ha. However, as per DSS analysis, the CA area is observed to be 30.103 ha. Accordingly, the State Government is required to submit the correct CA details, along with the complete CA suitability certificate, and upload the same in Part-II of the PARIVESH portal.</p>	<p>बिंदु के संबंध में निवेदन है कि पूर्व में परिवेश पोर्टल 1.0 पर रेल्वे विभाग द्वारा 9.9857 हे. प्रस्तावित किया गया था, जिसके विरुद्ध 20 हे. रकबे में 20000 पौधे हेतु वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना प्रस्तावित की गई की जाकर परिवेश पोर्टल में अपलोड की गई थी, जिसमें 30 हे. कुल क्षेत्र एवं वृक्षारोपण क्षेत्र 20 हे. दिया गया था।</p> <p>रेल्वे विभाग द्वारा बाद में आवेदित क्षेत्र में संशोधन कर 8.0357 हे. रकबा का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसके एवज में 16.0714 हे. रकबें में 16071 पौधे हेतु वैकल्पिक वृक्षारोपण प्रस्तावित की गई जिसमें 20 हे. कुल क्षेत्र एवं वृक्षारोपण क्षेत्र 16.0714 हे. है।</p> <p>परिवेश पोर्टल 1.0 पर संशोधित वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना अपलोड किये जाने का प्रावधान नहीं होने के कारण आपके द्वारा दिये गये निर्देशानुसार कार्यालयीन पत्र क्रमांक/579 दिनांक 12.04.2025 से योजना की प्रति आपकी ओर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की गई थी।</p> <p>परिवेश पोर्टल 1.0 पर संशोधित वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना अपलोड किये जाने का विकल्प आने पर योजना अपलोड कर दी जावेगी।</p>
<p>vi</p>	<p>As per satellite imagery, pre-plantation work is visible on the proposed CA land. Accordingly, the State Government is requested to submit details of the plantation work, if any, carried out by the State Forest Department.</p>	<p>परिवेश पोर्टल 1.0 में तत्समय वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित वनक्षेत्र की केएमएल अपलोड की गई थी, जिसे निरस्त किया गया है। वर्तमान में रेल्वे विभाग द्वारा प्रस्तावित 8.0357 हे. रकबा के एवज में 16.0714 हे. रकबें में 16071 पौधे हेतु वैकल्पिक वृक्षारोपण प्रस्तावित की गई जिसमें 20 हे. कुल क्षेत्र एवं वृक्षारोपण क्षेत्र 16.0714 हे. है। उक्त चयनित वनक्षेत्र में पूर्व का कोई वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।</p>
<p>vii.</p>	<p>The State Government has reported a violation of the Van (Sanrakshan evam Samvardhan) Adhiniyam, 1980 over an area of 0.0366 ha. Accordingly, the State Government is required to submit a detailed Action Taken Report in accordance with the provisions of the said Adhiniyam against the UA and Forest Department officials, who were not able to prevent the non-forestry use of forest land.</p>	<p>वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के उल्लंघन के फलस्वरूप वनमंडल कार्यालय के पत्र क्रमांक / माचि. / 2025 / 1854 दिनांक 17.12.2025 से निर्धारित प्रारूप में विस्तृत विवरण मय आवश्यक अभिलेखों के अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) म.प्र. भोपाल को प्रेषित किये गये है। (छायाप्रति संलग्न है)</p>

viii	The User Agency has not uploaded the KML files for 11.1926 ha of non-forest land involved in the proposal on the PARIVESH portal. Consequently, the complete layout of the proposed railway line cannot be depicted. The State Government is, therefore, required to submit the same.	आवेदक विभाग द्वारा परियोजना में प्रभावित होने वाली फॉरेस्ट लैंड एवं नॉन फॉरेस्ट लैंड की कम्पलीट KML वनमण्डल कार्यालय में उपलब्ध नहीं कराई है।
------	---	---

संलग्न :- उपरोक्तानुसार ।

(नवीन गर्ग)

भा.व.से.

वनमण्डलाधिकारी

उत्तर बैतूल (सा0) वनमंडल

बैतूल/दिनांक/22/04/2026

पृ.क्रं./मा.चि./2026/ 523

प्रतिलिपि :-

- 1.- वन संरक्षक बैतूल वृत्त बैतूल की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित ।
- 2.- उप मुख्य अभियंता (निर्माण) मध्य रेलवे नागपुर डिवीजन बैतूल मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ कर लेख है कि भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा चाही गई 08 बिन्दुओ पर अतिरिक्त जानकारी में आपसे से संबंधित जानकारी का बिन्दुवार प्रतिवेदन तैयार कर ऑनलाईन अपलोड कर सीधे अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) म.प्र. भोपाल को प्रेषित कर वनमंडल कार्यालय को अवगत करावें ।

वनमंडलाधिकारी

उत्तर बैतूल (सा0) वनमंडल

कार्यालय वनमंडलाधिकारी उत्तर बैतूल (सा0) वनमंडल

07141-234264(कार्यालय), E-Mail - dfotnbetul@mp.gov.in

क्रमांक/मा0चि0/2025 / 579
प्रति,

बैतूल, दिनांक/ 12/04/2025

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
(भू-प्रबंध)
म.प्र. भोपाल

विषय :- उत्तर बैतूल वनमंडल की 1.2496 हे. वनभूमि एवं होशंगावाड वनमंडल की 6.7861 हे. कुल 8.0357 हे. वनभूमि सेन्द्रल रेल्वे नागपुर डिवीजन बैतूल को उपयोग पर देने के संबंध में प्रकरण क्रमांक/FP/MP/RAIL/150074/2021
संदर्भ :- आपका दूरभाष दिनांक 11.04.2025 पर प्राप्त निर्देश।

--00--

विषयांतर्गत आपके दूरभाष पर प्राप्त निर्देशो के परिपालन में निवेदन है कि विषयांकित प्रकरण में प्रभावित हो रही कुल 8.0357 हे. वनभूमि के विरुद्ध दूगने बिगड़े वनक्षेत्र 16.0714 हे. पर वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना परिक्षेत्र भौरा (सा.) के कक्ष क्रमांक - आर.एफ.- 157 में योजना अवधि वर्ष- 2025-26 से वर्ष- 2035-36 तक की तैयार की गई, जिसकी तकनीकी स्वीकृति वन संरक्षक बैतूल वृत्त बैतूल के आदेश क्रमांक/माचि/2025/73 दिनांक 11.04.2025 से प्रदान की गई है। उक्त वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न सादर सम्प्रेषित है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

(नवीन गर्ग)

भा.व.से.

वनमण्डलाधिकारी

उत्तर बैतूल (सा0) वनमंडल

बैतूल/ दिनांक/ 12/04/2025

पृ.क्रं./मा.चि./2025/ 580

प्रतिलिपि :- वन संरक्षक बैतूल वृत्त बैतूल की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।

वनमंडलाधिकारी

उत्तर बैतूल(सा0) वनमंडल

वन संरक्षक वैतुल वृत्त वैतुल द्वारा पारित आदेश

वैतुल, दिनांक - 11/04/25

आदेश क्रमांक/मा.वि./2025/73

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/मा.वि./343 दिनांक 13.12.2022 को एतद द्वारा निरस्त किया जाता है

Deputy Chief Engineer (C) Betul, Ajni, Nagpur का मुआयजा (क्रमांक 750-4/00) और वनमंडल (क्रमांक 792+650) अण्ड के मध्य प्रस्तावित तीसरी रेलवे लाइन के लिए कार्यवाही रकबा 99857 sq. मी. (FPMIP/RAH/150074/2021) रेलवे विभाग का उपयोग में देने वाला वनसंरक्षण अधिनियम 1980 के तहत प्रस्ताव में प्रस्तावित दुमने वनमंडल रकबा 20 हेक्टर में वनमंडल अधिकारी पदवी वैतुल सामान्य वनमंडल द्वारा एक पत्र क्रमांक/ मा.वि./574 दिनांक 11.04.2025 से प्रस्तुत निम्नानुसार वैकल्पिक वृक्षारोपण परियोजना प्रतिबद्ध अवधि 2025-26 से 2035-36 (ग्यारह वर्षीय) प्रोजेक्ट रिपोर्ट पर मध्यप्रदेश वन विभाग का आदेश क्र/621/03/नियम/अ.र. दिनांक 03.09.2003 एवं अंतर प्रदान कृत वन संरक्षक (विकास) मंत्र भोपाल का आदेश क्र/ वि/ एफ/ 12/ 2003 - 04 / 3943 दिनांक 01.10.2003 में प्रदत्त अधिकारी के तहत, निम्नानुसार पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन जारी की जाती है -

क्र.	परिचय	कार्यस्थल एवं कटा क्रमांक एवं रकबा	परियोजना प्रतिबद्ध अनुसार वर्षवार राशि				
			वर्ष	राशि			
1	भोरा	दीट का नाम- धार आर एफ 157 रकबा 2000 हेक्टर	प्रथम वर्ष	2025-26	5052022		
			द्वितीय वर्ष	2026-27	1455620		
			तृतीय वर्ष	2027-28	752009		
			चतुर्थ वर्ष	2028-29	456991		
			पंचम वर्ष	2029-30	416497		
			षष्ठम वर्ष	2030-31	185110		
			सप्तम वर्ष	2031-32	125110		
			अष्टम वर्ष	2032-33	166449		
			नवम वर्ष	2033-34	166450		
			दशम वर्ष	2034-35	166449		
			एकादशवर्ष	2035-36	166449		
			योग अ परियोजना राशि				9170216
			ब-आस्थामूलक कार्य 5 प्रतिशत				458511
			स-मानव संसाधन विकास कार्य 1 प्रतिशत				91702
द-सूचकांक एवं अनुश्रवण कार्य 4 प्रतिशत				366809			
इ-योग (अ+ब+स+द)				10087238			
योग (रु. एक कराठ सत्तयासी हजार दो सौ अठतीस स. मात्र)							
फ-पर्यवेक्षण शुल्क याग इ का 10 प्रतिशत				1008724			

शर्तें निम्नानुसार हैं:-

- कार्य का संपादन तकनीकी स्वीकृति के साथ संलग्न प्राक्कलन एवं मानचित्र में दर्शित तकनीकी मापदंडों के अनुसार ही कराया जावे। कार्य के दौरान स्थल की भौगोलिक स्थिति के अनुसार किसी भी प्रकार से परिवर्तन/संशोधन की आवश्यकता होने पर सक्षम तकनीकी अधिकारी से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
- वृक्षारोपण योजना के अनुसार उपयोग में लाई जाने वाली सामग्री का कय करते समय भंडार कय नियमों को पालन करना आवश्यक होगा।
- वृक्षारोपण योजना के सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित किये जाने का दायित्व वनमंडलाधिकारी सहित योजना को क्रियान्वित करने वाले समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों का होगा।
- कार्य पर व्यय वनवृत्त के अंतर्गत स्वीकृत जाय दर में प्रचलित मजदूरी की दर पर गणना की जाकर, न्यूनतम वेतन अधिनियम के अधीन, मजदूरी का भुगतान कराया जाना सुनिश्चित करें। किन्हीं वानिकी कार्यों

क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण प्रोजेक्ट रिपोर्ट

- वनमंडल का नाम - उत्तर वैतूल (सा0)
- परिक्षेत्र का नाम - भोरा (सा0)
- परिक्षेत्र सहायक - धार
- घाट का नाम - धार
- वन सुरक्षा समिति - धार
- ऊँचा क्रमांक - RF 157
- ग्रॉस एरिया - 20 हे0
- वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित रकबा -

16.0714

प्रथम वर्ष 2025-26

- ग्राम पंचायत - सागीरवा
- विकासखंड - सागीरवा
- तहसील - सागीरवा
- जिला - वैशाली
- विभाग/सहायक - वृक्षारोपण
- प्रजाति - मिश्रित
- घाटा की संख्या - 15/21

मानव दिवस - 466.999

क्र	जाब दर आयटम न	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	दर रु / मादि प्रति इकाई	वृक्षारोपण हेतु	दर (रु.प्रति घ0मी)	योग (रु.प्रति घ0मी)
1. वृक्षारोपण मूलक कार्य							
अ मजदूरी मूलक कार्य (मानव दिवस आधारित)							
1	अ प्रमुवस जाब दर भाग 2/1	संभवतः काल 03 मीटर चौड़ी पट्टी में सफाई करवायी जायेगी। 03 मीटर चौड़ी पट्टी में समस्त वृक्षों पर पट्टे लगाये जायेंगे। 20 मीटर की दूरी पर पट्टे पर खोप लगाकर लिखना प्रकृत रिपोर्ट एवं उपचार निर्दिष्ट प्रकार करना।	20	0.45 प्रति हे	9	466	4194
2	अ प्रमुवस जाब दर भाग 2/2	क्षेत्र में कोई विकृत पाँच कटाई (लटाना छोड़कर) एवं खरकी कटाई (20 स.मी. से नीचे) एकत्रित करना जलाना	16	4 प्रति हे	64.286	466	29957
3	अ प्रमुवस जाब दर भाग 2/3	लटाना उन्मूलन मध्यम	16	125 मा0दि/हे	200.89	466	93616
4	अ प्रमुवस जाब दर भाग	गडडे खोदन के पूर्व रस्सी से लाईन डालना एवं घूने से गडडे के निशान लगाना स्टेकिंग कार्य	16071	25 मा0दि / हजार	40.179	466	18723
5	अ प्रमुवस एल. भाग 2/5	गडडा खुदाई कार्य					
		समतल गडडा गडडे (30 X 30 X 30 स.मी.)	0	3 मा0दि प्रति गडडा	0	466	0
		निम्न गडडा गडडे (45 X 45 X 45 स.मी.)	16071	5 मा0दि प्रति गडडा	803.57	466	374464
6	अ प्रमुवस जाब दर भाग 2/17	पौधा रोपण हेतु सडी गोबर खाद/बर्मी कमपोस्ट धार नर्सरी से कच एवं कौपन मिटटी धार तालाब से लाकर एवं डी0ए0डी0 खाद 10 ग्राम का मिश्रण बनाकर हाँक क्रिलिंग कार्य	16071	150 मा0दि प्रति गडडा	241.07	466	112339
7	भाग 7/1	बोल्डर परिवहन कर चेकडेम निर्माण कार्य					
		नदर सग्रहण 100 कि.मी दूरी तक बोल्डरों को सग्रहण करना।	800	0.62 प्रति घ0मी	496	466	231136
8	PAO Item no 1922, 1924/31	पत्थर परिवहन (पत्थर चेकडेम बनान हेतु)	800	197.455 प्रति घ0मी		466	157964
9	भाग 1/15	पत्थर से चेकडेम बनाना (ले आऊट पत्थर संग्रहण 100 मीटर दूरी तक चेकडेम का निर्माण, नाप एवं अभिलेखन करना)	800	1 मा0दि प्रति घ0मी	800	466	372800
10		परकुलेशन टैंक निर्माण कार्य	6	90000 प्रति नग	0	90000	540000
11	एल.एस	तालाब निर्माण कार्य	1	900000 प्रति नग		LS	900000
12	एल.एस	निरीक्षण पथ निर्माण	1			LS	100000
		वृक्षारोपण मजदूरी मूलक कार्य का योग :-			2655		2935193
ब वृक्षारोपण सामग्री मूलक कार्य (समिति दर पर आधारित)							
13	वाजारा दर	सडी गोबर खाद क्रय व परिवहन (गडडा की संख्या X एक गडडे का आयतन X 25%) 604 रु. प्रति घ0मी कुल आयतन 1462.488 घ0मी का 25 प्रतिशत = 365.622 घ0मी	365.622	प्रति घ0मी		604	220836
		45 X 45 X 45 = 0.091 X 8036 = 1462.488 घ0मी					

14	बाजार दर	कंपर मिट्टी का न वॉल्यूम (पानी की सख्त X एक गड्डे का आयतन X 30") प्रति घन मीटर वूल आयतन 1462 मीटर का न वॉल्यूम = 438 746 मीटर	438,746	प्रति घनमीटर		368	161159	
		15 X 15 X 15 = 0.091 X 8036 = 1462.488 मीटर						
15		पिपल का व	19200	प्रति घन	14		270600	
16	एल एस	कंपर मिट्टी के लिए दर निर्धारण	1	L.S			90000	
17	एल एस	मेटल का एक किलोमीटर बनाकर परिवहन करना	1	L.S			60000	
18	एल एस	बोर्ड निर्माण	1	L.S		15000	15000	
19	एल एस	अन्य जगह (वेन रोड से वृक्षारोपण तक पहुंचाने वाले एक सरसी नूना पैर स्टेशनरी फोटोग्राफी डिजिटोग्राफी ड्रोन द्वारा)	1	L.S			221334	
योग वृक्षारोपण सामग्री मूलक								1038628
योग वृक्षारोपण मूलक अ मजदूरी मूलक								2935193
योग वृक्षारोपण मूलक व सामग्री मूलक								1038628
योग वृक्षारोपण मूलक								3973821
2. फेंसिंग मूलक कार्य								
अ मजदूरी मूलक कार्य (जार दर पर आधारित)								
17	अप मुच रा जाव दर भाग 1/13	क्षेत्र की बाह्य सीमा पर चैनलिक लगाने हेतु 30 X 30 X 45 के गड्डे खोदना सीमेंट फाकीट का मशाला तैयार कर खनो को माडना पक्का करना चैनलिक लगाना चैनलिक को बाधना। (मजदूरी की राशि)	2058	0.16 मीटर प्रति र मी	329.28	466	153444	
18		मूख्य मार्ग से वृक्षारोपण क्षेत्र तक एक वृक्षारोपण क्षेत्र में सीमेंट पोल्स चैनलिक जाली एवं बारबेड वायर परिवहन कार्य	LS			LS	25000	
योग- फेंसिंग मजदूरी मूलक								178444
ब सामग्री मूलक कार्य (बाजार दर पर आधारित)								
19	LUN जो दर एक डेटा सॉफ्ट एन एम एम 170803	फेंसिंग के लिये आर सी सी पोल्स 3 मीटर के अन्तराल में लगाने पर 20 प्रतिशत सपोर्ट हेतु की खरीदी कार्य साईज 2.00 मीटर	823	नग		295.00	242785	
20	LUN जो दर एक डेटा सॉफ्ट एन एम एम 300103	चैनलिक जाली क्य करना (15 मीटर चौड़ी)	3087	प्रति वर्ग.मी.		165.00	509355	
21	LUN जो दर एक डेटा सॉफ्ट एन एम एम 200101	1365 र मी चैनलिक के ऊपर एवं नीचे तनाव हेतु बारबेड वायर क्रय	686	कि०घ्रा०		94.90	65101.4	
22	वजार दर	पोल्स फिक्स करने के लिए (30X30X45 = 0.040 - 0.004 = 0.036 प मी प्रति गड्डा सी सी (20 एमएम मेटल 136) X 823 गड्डा = 29 63 घ मी						
		सीमेंट	129	प्रति बैग		287	37023	
		गिट्टी	26	प्रति घ०मी०		1018	26468	
		रेत	13	प्रति घ०मी०		1468	19084	
योग फेंसिंग सामग्री मूलक								899816
योग फेंसिंग मूलक अ मजदूरी मूलक								178444
योग फेंसिंग मूलक व सामग्री मूलक								899816
योग फेंसिंग मूलक								1078261
योग वृक्षारोपण एवं फेंसिंग - मजदूरी मूलक								3113637
योग वृक्षारोपण एवं फेंसिंग - सामग्री मूलक								1938444
महायोग प्रथम वर्ष								5052081
प्रति हे० व्यय रूपये							16.0714	314352


क्र.	आयतन नं.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	दर रु / मादि प्रति इकाई	प्रमाणित मात्रा	दर (रुपये में)	योग (रुपये में)
1	2	3	4	5	6	7	8
वृक्षारोपण मूलक							
अ गजदूरी मूलक कार्य (मानव दिवस आधारित)							
1	भाग 1/3	लेटना मापिम	16	0 मादि प्रति हे	128	512.60	65613
2	अ.प्र.मु.व.स. जाव दर भाग 8/3	पौधा परिवहन 91-100 कि.मी	19286	प्रति रोकडा		561.6	108308
3	अ.प्र.मु.व.स. जाव दर भाग 3/3	पौधा परिवहन (रोपण स्थल से एक स्थान पर समूहित पौधों को गड़दो तक पहुंचाना समस्त कर्तव्य की दूरी 2 कि.मी तक)	19286	0.4 मा दि प्रति रोकडा	77	512.60	39543
4	अ.प्र.मु.व.स. जाव दर भाग 3/5	पौधा रोपण					
		30 X 30 X 30 सेमी0 में रोपण करना	0	15 मादि प्रति रोकडा	0	512.6	0
		45X45X45 सेमी गड़दो में रोपण	16071	1.0 मा दि प्रति रोकडा	289.29	512.6	148288
		सागौन एवं मिश्रित पौधा में निदाई कार्य					
5	अ.प्र.मु.व.स. विभास भोपाल जाव दर भाग 2/10.1, 10.2	निदाई गुडाई घाला दुस्त कटाई, मृत पौधे बदलना, रासायनिक खाद एवं कीटनाशक, डालना					
		प्रथम निदाई (1 मी गोलाकर व्यास में)	16071	1.25 मा दि प्रति रोकडा	201	512.6	102977
		द्वितीय निदाई (1 मी गोलाकर व्यास में)	16071	1.00 मा दि प्रति रोकडा	161	512.6	82382
		तृतीय निदाई (1 मी गोलाकर व्यास में)	16071	1.00 मा दि प्रति रोकडा	161	512.6	82382
6	अ.प्र.मु.व.स. जाव दर भाग 2/11 2	आवश्यकता अनुसार कीटनाशक का छिड़कव	16071	0.10 मादि प्रति रोकडा	16.071	512.6	8238
7	अ.प्र.मु.व.स. जाव दर 2/12	सिर बोझ द्वारा सिचाई करना					
		आवश्यकता अनुसार सिचाई कार्य	16071	1.25 मादि प्रति रोकडा	402	512.6	205955
8	अ.प्र.मु.व.स. जाव दर 4/03	अग्नि सुरक्षा कार्य 03 मीटर चौड़ाई में कटाई, सफाई, जलाई एवं आंतरिक लाईन कटाई, सफाई जलाई	3	2.25 मादि प्रति रोकडा	7	512.6	3707
9		सुरक्षा कार्य (1 सुरक्षा श्रमिक, माह जुलाई से मार्च तक)	9	प्रति मादि.	9	13327.6	119948
		योग वृक्षारोपण गजदूरी मूलक					967342
वृक्षारोपण मूलक ब सामग्री मूलक कार्य (बाजार दर पर आधारित)							
10		पौधा कच	3214	प्रति फीस	15		48214
		डी0ए0पी0 खाद कच 10 ग्राम प्रति पौधा	3	50 विरुपा0 प्रति बेग		2000	6000
11	बाजार दर	यूरिया खाद कच (प्रथम निदाई, द्वितीय, तृतीय निदाई 05-05-05 ग्राम)	241	प्रति विरुपा0		10	2411
12		औषधि पौधा, बीज एवं कंद कच (अश्वगंधा, सतावर, सफेद भूसली)				LS	0
13	बाजार दर	आवश्यकता अनुसार कीटनाशक कच करना।	LS	प्रति लीटर		LS	25000
14		अन्य आवश्यक खाद (कीटनाशक छिड़कव हेतु स्पे स्प कच)				LS	407653
		योग वृक्षारोपण मूलक ब सामग्री मूलक कार्य					489278
		योग वृक्षारोपण मूलक अ गजदूरी मूलक					967342
		योग वृक्षारोपण मूलक ब सामग्री मूलक					489278
		महायोग द्वितीय वर्ष वृक्षारोपण मूलक					1456620
		प्रति हे0 व्यय रुपये	16.071				90634


तृतीय वर्ष 2027-28

वार्षिक वृद्धि 10 प्रतिशत, मानव दिवस 563.86 रु०

563.860

क्र.	आइटम नं.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	दर रु / मादि प्रति इकाई	कुल मानव दिवस	दर (रुपये में)	राशि (रुपये में)
वृक्षारोपण मूलक							
अ मजदूरी मूलक कार्य (मानव दिवस आधारित)							
1	अप्रमुवस. जाब दर भाग 3/3	पौधा परिवहन 41-50 कि.मी.	3214	प्रति रोकडा		617.5	19848
2	अप्रमुवस. जाब दर भाग 3/3	पौधा परिवहन (रोपण स्थल में एक स्थान पर सप्लाइत पौधों को गड़दो तक पहुँचना)	3214	0.4 मा दि प्रति रोकडा	13	563.86	7250
3	अप्रमुवस. जाब दर भाग 3/9	निर्दाई कार्य					
		निर्दाई मुखाई धाला नुरुस्त कटाई, गूत पौधे बदलना, ससायनिक खाद एग कीटनाशक, डालना					
		प्रथम निर्दाई (1 मी. गोलाकर व्यास में)	16071	1.25 मा दि प्रति रोकडा	201	563.86	113275
		द्वितीय निर्दाई (1 मी. गोलाकर व्यास में)	16071	1.00 मा दि प्रति रोकडा	161	563.86	90620
		तृतीय निर्दाई (1 मी. गोलाकर व्यास में)	0	1.00 मा दि प्रति रोकडा	0	563.86	0
4	अप्रमुवस. जाब दर भाग 2/112	आवश्यकता अनुसार कीटनाशक का छिडकाव	16071	0.10 मादि प्रति रोकडा	16.071	563.86	9062
5	अप्रमुवस. जाब दर 4/03	अग्नि सुरक्षा कार्ड 0.8 मीटर चौड़ाई में कटाई, सफाई, जलाई एग आंतरिक लाईन कटाई, सफाई जलाई	3	2.25 मादि प्रति कि.मी०	7	563.86	4078
6	अप्रमुवस. 2/12	सिर बोझ द्वारा रिचाई करना					
		आवश्यकता अनुसार माह अप्रैल से जून तक रिचाई करना	16071	1.25 मादि प्रति रोकडा	402	563.86	226550
		फेसिंग मरम्मत आवश्यकता अनुसार	0			LS	0
8		सुरक्षा कार्य (01 सुरक्षा श्रमिक 12 माह के लिये)	12	प्रति मा.दि.	12	14660.36	175924
योग मजदूरी							646608
ब वृक्षारोपण सामग्री मूलक कार्य (बाजार दर पर आधारित)							
9		पौधा कय	1607	प्रति पौधा	16		25714
10	बाजार दर	नुरस खाद कय (प्रथम निर्दाई द्वितीय तृतीय निर्दाई 05-05-05 पाव)	241	प्रति कि०ग्रा०		15	3616
11	बाजार दर	आवश्यकता अनुसार कीटनाशक कय करना।	LS	प्रति लीटर		LS	5000
12		अन्य आकस्मिक व्यय				LS	71071
योग वृक्षारोपण सामग्री मूलक							105401
योग वृक्षारोपण अ मजदूरी मूलक							646608
योग वृक्षारोपण ब सामग्री मूलक							105401
महायोग तृतीय वर्ष वृक्षारोपण मूलक :-							752009
प्रति हे० व्यय रूपये			16.071				46792


वन परिक्षेत्र अधिकारी
भौरा (सा.)


उपवनमंडल अधिकारी
शाहपर (सा.)

चतुर्थ वर्ष 2020-20

वार्षिक वृद्धि 10 प्रतिशत, मानव दिवस 620 240 रु०

620 246

क्र.	आइटम नं.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	दर रु / मादि प्रति इकाई	कुल मानव दिवस	दर (रुपये में)	राशि (रुपये में)
1 वृक्षारोपण मूलक							
अ मजदूरी मूलक कार्य (मानव दिवस आधारित)							
1	अप्रचलित जल दर भाग 8/3	पौधा परिवहन 41-50 कि.मी	1607	प्रति टोकडा		6799	10927
2	अप्रचलित जल दर भाग 3/3	कीटा परिवहन (सोपान रास्त में एक स्थान पर स्थिति पौधों को पकड़ने तक पहुंचाना)	1607	0.4 मा दि प्रति टोकडा	6	620 246	3927
3	अप्रचलित जल दर भाग 4/03	अग्नि सुरक्षा कार्य 03 मीटर चौड़ाई में कटाई, सफाई, जलाई एवं आंतरिक लाईन कटाई, सफाई जलाई	3	225 गांठि० प्रति कि०मी०	7	620 246	4426
4	अप्रचलित जल दर भाग 3/9	निदाई कार्य					
		निदाई गुडाई धाला दुरुस्त कराई, मृत पौधे बदलना, रासायनिक खाद डालना					
		प्रथम निदाई (1 मी गोलाकार व्यास में)	16071	125 मा दि प्रति टोकडा	201	620 246	124693
		द्वितीय निदाई (1 मी गोलाकार व्यास में)	16071	100 मा दि प्रति टोकडा	161	620 246	99682
		तृतीय निदाई (1 मी गोलाकार व्यास में)	0	100 मा दि प्रति टोकडा	0	620 246	0
5	अप्रचलित जल दर भाग 2/112	आवश्यकता अनुसार कीटनाशक का छिड़काव	16071	0.10 मादि प्रति री	16.071	620.246	9968
6		सुरक्षा कार्य (01 सुरक्षा श्रमिक 12 माह के लिये)	12	प्रति मादि	12	16126.4	193517
योग मजदूरी							447170
ब सामग्री मूलक कार्य (बाजार दर पर आधारित)							
7	बाजार दर	दूरिया खाद कच (प्रथम निदाई, द्वितीय, तृतीय निदाई 05-05-05 ग्राम)	241	प्रति मि०ग्रा०		20	4821
8	बाजार दर	आवश्यकता अनुसार कीटनाशक कच करना।	LS	प्रति लीटर		LS	5669
9		अन्य आकर्षिक व्यय					0
योग सामग्री							9821
योग वृक्षारोपण अ मजदूरी मूलक							447170
योग वृक्षारोपण ब सामग्री मूलक							9821
महायोग चतुर्थ वर्ष वृक्षारोपण मूलक :-							456991
प्रति हे० व्यय रुपये			16.071				28435

पंचम वर्ष 2029-30

वार्षिक वृद्धि 10 प्रतिशत, मानव दिवस 628.270 रु०

682.271

क्र.	आइटम नं.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	दर रु / मादि प्रति इकाई	कुल मानव दिवस	दर (रुपये में)	राशि (रुपये में)
1 वृक्षारोपण मूलक							
अ मजदूरी मूलक कार्य (मानव दिवस आधारित)							
1	अप्रचलित जल दर भाग 4/03	अग्नि सुरक्षा कार्य 03 मीटर चौड़ाई में कटाई, सफाई, जलाई एवं आंतरिक लाईन कटाई, सफाई जलाई	3	225 गांठि० प्रति कि०मी०	7	682.2706	4934
2	अप्रचलित जल दर भाग 3/9	निदाई गुडाई धाला दुरुस्त कराई, मृत पौधे बदलना, रासायनिक खाद डालना					
		प्रथम निदाई (1 मी गोलाकार व्यास में)	16071	125 मा दि प्रति टोकडा	201	682.2706	137063
		द्वितीय निदाई (1 मी गोलाकार व्यास में)	0	100 मा दि प्रति टोकडा	0	682.2706	0
3	अप्रचलित जल दर भाग 2/112	आवश्यकता अनुसार कीटनाशक का छिड़काव	16071	0.10 मादि प्रति री	16.071	682.2706	10965
4		कंसिग मरमत आवश्यकतानुसार	0			LS	0
5		सुरक्षा कार्य (01 सुरक्षा श्रमिक 12 माह के लिये)	12	प्रति मादि	12	17739	212868
योग मजदूरी							365831
ब सामग्री मूलक कार्य (बाजार दर पर आधारित)							
6	बाजार दर	दूरिया खाद कच (प्रथम निदाई एवं द्वितीय निदाई 05-05-05 ग्राम)	161	प्रति मि०ग्रा०		20	3214
7	बाजार दर	आवश्यकता अनुसार कीटनाशक कच करना।	LS	प्रति लीटर		LS	5000
8		अन्य आकर्षिक व्यय					42452
योग सामग्री							50666
योग वृक्षारोपण अ मजदूरी मूलक							365831
योग वृक्षारोपण ब सामग्री मूलक							50666
महायोग पंचम वर्ष वृक्षारोपण मूलक :-							416497
प्रति हे० व्यय रुपये			16.071				25915

षष्ठम वर्ष 2030-31

वार्षिक वृद्धि 10 प्रतिशत, मानव दिवस 150,427 ₹0		कार्य का विवरण		कार्य की मात्रा	दर ₹ / प्रति इकाई	कुल मूल्य	दर (प्रति ₹)	मूल्य (प्रति ₹)
1. वृक्षारोपण मूलक								
अ. मजदूरी मूलक कार्य (मानव दिवस अन्तर्गत)								
1	वृक्षारोपण कार्य 03 मीटर चौड़ाई व कटाई सफाई जलाई एवं आंतरिक लाईन कटाई सफाई जलाई	3	225 मजदूर प्रति दिन	7	150,427	3158		
2	सुरक्षा कार्य (01 सुरक्षा श्रमिक 6 माह के लिये)	6	प्रति माह	6	900	1500		
योग मजदूरी								
ब. सामग्री मूलक कार्य (बाजार दर पर आकारित)								
3	अन्य आकारितक कार्य							111
योग सामग्री								
योग वृक्षारोपण अ. मजदूरी मूलक								
योग वृक्षारोपण ब. सामग्री मूलक								
महायोग षष्ठम वर्ष वृक्षारोपण मूलक -								
प्रति हे० एकड़ रु०								
16.0714								

सातम वर्ष 2031-32

वार्षिक वृद्धि 10 प्रतिशत, मानव दिवस 825,474 ₹0		कार्य का विवरण		कार्य की मात्रा	दर ₹ / प्रति इकाई	कुल मूल्य	दर (प्रति ₹)	मूल्य (प्रति ₹)
1. वृक्षारोपण मूलक								
अ. मजदूरी मूलक कार्य (मानव दिवस अन्तर्गत)								
1	वृक्षारोपण कार्य 03 मीटर चौड़ाई व कटाई सफाई जलाई एवं आंतरिक लाईन कटाई सफाई जलाई	3	225 मजदूर प्रति दिन	7	825,474	5770		
2	सुरक्षा कार्य (01 सुरक्षा श्रमिक 6 माह के लिये)	6	प्रति माह	6	21,464	1717		
योग मजदूरी								
ब. सामग्री मूलक कार्य (बाजार दर पर आकारित)								
3	अन्य आकारितक कार्य							7426
योग सामग्री								
योग वृक्षारोपण अ. मजदूरी मूलक								
योग वृक्षारोपण ब. सामग्री मूलक								
महायोग सातम वर्ष वृक्षारोपण मूलक -								
प्रति हे० एकड़ रु०								
16.0714								

अष्टम वर्ष 2032-33

वार्षिक वृद्धि 10 प्रतिशत, मानव दिवस 908,102 ₹0		कार्य का विवरण		कार्य की मात्रा	दर ₹ / प्रति इकाई	कुल मूल्य	दर (प्रति ₹)	मूल्य (प्रति ₹)
1. वृक्षारोपण मूलक								
अ. मजदूरी मूलक कार्य (मानव दिवस अन्तर्गत)								
1	वृक्षारोपण कार्य 03 मीटर चौड़ाई व कटाई सफाई जलाई एवं आंतरिक लाईन कटाई सफाई जलाई	3	225 मजदूर प्रति दिन	7	908,102	6568		
2	सुरक्षा कार्य (01 सुरक्षा श्रमिक 6 माह के लिये)	6	प्रति माह	6	23600	14420		
योग मजदूरी								
ब. सामग्री मूलक कार्य (बाजार दर पर आकारित)								
3	अन्य आकारितक कार्य							18219
योग सामग्री								
योग वृक्षारोपण अ. मजदूरी मूलक								
योग वृक्षारोपण ब. सामग्री मूलक								
महायोग अष्टम वर्ष वृक्षारोपण मूलक -								
प्रति हे० एकड़ रु०								
16.0714								

नदम वर्ष 2033-34

वार्षिक वृद्धि 10 प्रतिशत, मानव दिवस 998 912 रु०						998.912
क्र.	आयटम न.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	दर रु./ मा.दि. प्रति इकाई	कुल मानव दिवस	राशि (रुपये में)
1 वृक्षारोपण मूलक						
अ मजदूरी मूलक कार्य (मानव दिवस आधारित)						
1	32598 रु० 4/20	जमीन सुरक्षा कार्य 03 मीटर चौड़ाई में कटाई, सजाई, जलाई एवं आंतरिक लकड़ें कटाई, सजाई जलाई	3	225 म०दि० प्रति डि०मी०	7	998.9124
2		सुरक्षा कार्य (01 सुरक्षा श्रमिक 5 माह क लिये)	6	प्रति मादि	6	25972
योग मजदूरी						163055
ब सामग्री मूलक कार्य (बाजार दर पर आधारित)						3395
3		अन्य आकस्मिक व्यय				3395
योग सामग्री						163055
योग वृक्षारोपण अ मजदूरी मूलक						3395
योग वृक्षारोपण ब सामग्री मूलक						166450
महायोग नवम वर्ष वृक्षारोपण मूलक :-						10357
प्रति हे० व्यय रुपये				16.071		

दशम वर्ष 2034-35

वार्षिक वृद्धि 10 प्रतिशत, मानव दिवस 1098.803 रु०						1098.804
क्र.	आयटम न.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	दर रु./ मा.दि. प्रति इकाई	कुल मानव दिवस	राशि (रुपये में)
1 वृक्षारोपण मूलक						
अ मजदूरी मूलक कार्य (मानव दिवस आधारित)						
1	32598 रु० 4/20	जमीन सुरक्षा कार्य 03 मीटर चौड़ाई में कटाई, सजाई, जलाई एवं आंतरिक लकड़ें कटाई, सजाई जलाई	3.2	225 म०दि० प्रति डि०मी०	7	1098.804
2		सुरक्षा कार्य (01 सुरक्षा श्रमिक 5 माह क लिये)	5	प्रति मादि.	5	28569
योग मजदूरी						142844
ब सामग्री मूलक कार्य (बाजार दर पर आधारित)						150791
3		अन्य आकस्मिक व्यय				15658
योग सामग्री						15658
योग वृक्षारोपण अ मजदूरी मूलक						150791
योग वृक्षारोपण ब सामग्री मूलक						15658
महायोग दशम वर्ष वृक्षारोपण मूलक :-						166449
प्रति हे० व्यय रुपये				16.071		10357

एकादश वर्ष 2035-36

वार्षिक वृद्धि 10 प्रतिशत, मानव दिवस 1208.684 रु०						1208.684
क्र.	आयटम न.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	दर रु./ मा.दि. प्रति इकाई	कुल मानव दिवस	राशि (रुपये में)
1 वृक्षारोपण मूलक						
अ मजदूरी मूलक कार्य (मानव दिवस आधारित)						
1	32598 रु० 4/20	जमीन सुरक्षा कार्य 03 मीटर चौड़ाई में कटाई, सजाई, जलाई एवं आंतरिक लकड़ें कटाई, सजाई जलाई	3	225 म०दि० प्रति डि०मी०	7	1208.684
2		सुरक्षा कार्य (01 सुरक्षा श्रमिक 5 माह क लिये)	5	प्रति मा.दि.	5	31426
योग मजदूरी						157129
ब सामग्री मूलक कार्य (बाजार दर पर आधारित)						165870
3		अन्य आकस्मिक व्यय				579
योग सामग्री						579
योग वृक्षारोपण अ मजदूरी मूलक						165870
योग वृक्षारोपण ब सामग्री मूलक						579
महायोग एकादश वर्ष वृक्षारोपण मूलक :-						166449
प्रति हे० व्यय रुपये				16.071		10357

गोरवारा

वर्ष	राशि	घन सं. (घन मी.)
प्रथम वर्ष (संवत् 2025-26)	5052082	314352
द्वितीय वर्ष (संवत् 2026-27)	1456620	90634
तृतीय वर्ष (संवत् 2027-28)	752009	46792
चतुर्थ वर्ष (संवत् 2028-29)	456991	28435
पंचम वर्ष (संवत् 2029-30)	416497	25915
षष्ठम वर्ष (संवत् 2030-31)	185110	11518
सप्तम वर्ष (संवत् 2031-32)	185110	11518
अष्टम वर्ष (संवत् 2032-33)	166449	10357
नवम वर्ष (संवत् 2033-34)	166449	10357
दशम वर्ष (संवत् 2034-35)	166449	10357
एकादश वर्ष (संवत् 2035-36)	166449	10357
योग :-	9170216	570592
आरथामूलक राशि 5 प्रतिशत	458511	28530
मानव संसाधन विकास कार्य 1 प्रतिशत	91702	5706
मूल्यांकन एवं अनुश्रवण 4 प्रतिशत	366809	22824
योग :-	917022	57059
महायोग :-	10087238	627652
पर्यवेक्षण शुल्क 10 प्रतिशत	1008724	
कुल योग :-	11095964	

वनमंडलाधिकारी
उत्तर देतूल (सा०) वनमंडल







उपवनमंडलाधिकारी
शाहभरपुर (सा०)


वन परिक्षेत्र अधिकारी
नौरा (सा०)

अनुमोदिता
[Signature]
वन संरक्षक
वन देतूल देतूल

उपचार-मानचिह्न भूमि प्रतीक प्रभावपत्र

शीट - ४१४ - भा.स. १५७
 म.स. २०६० -
 भा.स. १०४ (सा.)
 न.स. ३४४ - ३४४ (सा.)

- प्रतीक -
- ① एकल लीन लकीर - - - - -
 - ② वेनलिनकेमिण - - - - -
 - ③ तालाख निर्माण 
 - ④ परकुलका लेह  
 - ⑤ कोल्डर पेन्डे  
 - ⑥ पौधागिण - : : : :
 - ⑦ लीनाना 





कार्यालय वन वृत्त, बैतूल (म.प्र.)

कार्यालय :- टेलीफोन/फैक्स (07141) 234396 ccf.btl@mp.gov.in

बैतूल दिनांक - 18/12/25

क्रमांक/मा.चि./ 1745

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,

(भू-प्रबंध)

वन भवन म.प्र. भोपाल

विषय :- बैतूल एवं होशंगाबाद (नर्मदापुरम) जिले में जुझारपुर से ढोढरामोहार के मध्य तीसरी रेल्वे लाईन के निर्माण हेतु वनमंडल की 1.2496 हे. वनभूमि एवं होशंगाबाद वनमंडल की 6.7861 हे. कुल 8.0357 हे. वनभूमि सेन्ट्रल रेल्वे नागपुर डिवीजन बैतूल को उपयोग पर देने बाबत। प्रकरण क्रमांक / FP/MP/RAIL/150074/2021।

संदर्भ :- 1. आपका पृ.क्रमांक /एफ-5/1211/EFile-107/2025 दिनांक 04.11.2025।

2. वनमंडलाधिकारी उत्तर बैतूल सा. वनमंडल का पृ. क्रमांक 1855 दिनांक 17.11.2025।

= = 00 = =

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के तारतम्य में निवेदन है कि, आपके पृ.क्रमांक /एफ-5/1211/EFile-107/2025 दिनांक 04.11.2025 से चाही गयी जानकारी वनमंडलाधिकारी उत्तर बैतूल सा. वनमंडल द्वारा उनके पृ.क्र.1855 दिनांक 17.11.2025 से वांछित जानकारी आपकी ओर प्रेषित करते हुए इस कार्यालय को पृष्ठांकित किया गया है।

वनमंडलाधिकारी उत्तर बैतूल सा. वनमंडल द्वारा लेख किया गया है कि, भारत सरकार के पत्र दिनांक 13.10.2025 में उल्लेखित अनुसार विषयांकित प्रकरण में रेल्वे विभाग की ओर से वनमंडल कार्यालय में दिनांक 17.12.2025 को उपस्थित कार्यपालन यंत्री(निर्माण)बैतूल द्वारा रेल्वे के स्वामित्व के संबंध में वर्ष - 1986 का ROW मानचित्र प्रस्तुत किया गया। उक्त मानचित्र का अवलोकन किया गया। अवलोकन में डाउन ट्रेक साईड में 3 मीटर चौड़ाई एवं 122 मीटर लंबाई में अनाधिकृत रूप से वनभूमि पर मार्ग निर्माण होना पाया गया।

उपरोक्तानुसार वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन के फलस्वरूप निर्धारित संक्षेपिका में विस्तृत विवरण मय आवश्यक अभिलेख के संयुक्त हस्ताक्षर (व.म.अ. उत्तर बैतूल एवं कार्यपालन यंत्री(निर्माण) बैतूल) कर संलग्न संप्रेषित किया गया है।

वनमंडलाधिकारी उत्तर बैतूल सा. वनमंडल द्वारा प्रेषित संक्षेपिका आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर संलग्न संप्रेषित है।

सहपत्र:- उपरोक्तानुसार।

Bansu

(बासु कनौजिया)

वनसंरक्षक

वन वृत्त बैतूल

बैतूल, दिनांक - 18/12/25

पृष्ठा. क्र./मा.चि./ 1746

प्रतिलिपि:- 1. वनमंडलाधिकारी उत्तर बैतूल सा. वनमंडल की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में सूचनार्थ अद्येषित।

Bansu

वनसंरक्षक

वन वृत्त बैतूल

कार्यालय वनमंडलाधिकारी उत्तर बैतूल (सा0) वनमंडल

07141-234204(कार्यालय), E-Mail:- dfotnbetul@mp.gov.in

क्रमांक/मा0चि0/2025/1854

बैतूल, दिनांक/ 17 | 12 | 2025

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
(भू-प्रबंध)
म.प्र. भोपाल

विषय :- बैतूल एवं होशंगाबाद (नर्मदापुरम) जिले में जुझारपुर से ढोढरामोहर के मध्य तीसरी रेल्वे लाईन के निर्माण हेतु 8.0357 हे. आरक्षित एवं संरक्षित वनभूमि (1.2496 हे. उत्तर बैतूल एवं 6.7861 हे. होशंगाबाद वनमंडल) उप मुख्य अभियंता (निर्माण) मध्य रेल्वे नागपुर को उपयोग पर देने बाबत।

संदर्भ :- आपका पत्र क्रमांक/एफ-5/1211/E.File-107/2025 दिनांक 04.11.2025

--00--

विषयांतर्गत निवेदन है कि आपके संदर्भित पत्र के साथ संलग्न भारत सरकार के पत्र दिनांक 13.10.2025 में उल्लेखित अनुसार विषयांकित प्रकरण में रेल्वे विभाग की ओर से वनमंडल कार्यालय में दिनांक 17.12.2025 को उपस्थित कार्यपालन यंत्री (निर्माण) बैतूल द्वारा रेल्वे के स्वामित्व के संबंध में वर्ष - 1986 का ROW मानचित्र प्रस्तुत किया गया। उक्त मानचित्र का अवलोकन किया गया। अवलोकन में डाउन ट्रेक साईड में सबसे निर्माण कार्य ROW में होना पाया गया तथा अप ट्रेक साईड में 3 मीटर चौड़ाई एवं 122 मीटर लंबाई में अनाधिकृत रूप से वनभूमि पर मार्ग निर्माण होना पाया गया।

उपरोक्तानुसार वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन के फलस्वरूप निर्धारित संक्षेपिका में विस्तृत विवरण मय आवश्यक अभिलेखों के संयुक्त हस्ताक्षरित कर संलग्न सादर सम्प्रेषित है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

(नवीन गर्ग)

भा.व.से.

वनमंडलाधिकारी

उत्तर बैतूल (सा0) वनमंडल

बैतूल/ दिनांक/ 17 | 12 | 2025

पृ.क्रं./मा.चि./2025/1855

- प्रतिलिपि :-
- 1- वन संरक्षक बैतूल वृत्त बैतूल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्प्रेषित।
 - 2- उप मुख्य अभियंता (निर्माण), मध्य रेल्वे नागपुर डिवीजन बैतूल, म.प्र. की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

वनमंडलाधिकारी

उत्तर बैतूल (सा0) वनमंडल

-: संक्षेपिका :-

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत उल्लंघन बाबत प्रकरण का विस्तृत विवरण


1	परियोजना का नाम	बैतूल एवं होशंगाबाद (नर्मदापुरम) जिले में जुझारपुर से ढोढरामोहर के मध्य तीसरी रेल्वे लाईन के निर्माण हेतु 8.0357 हे. आरक्षित एवं संरक्षित वनभूमि (1.2496 हे. उत्तर बैतूल एवं 6.7861 हे. होशंगाबाद वनमंडल) उप मुख्य अभियंता (निर्माण) मध्य रेल्वे नागपुर को उपयोग पर देने बाबत।(FP/MP/RAIL/150074/2021)
2	वनक्षेत्र का विवरण	परिक्षेत्र भौरा, बीट धार कक्ष क्रमांक - RF. - 157
3	उल्लंघन हेतु कार्य स्वीकृति देने वाले अधिकारी/कर्मचारी का नाम एवं स्वीकृति आदेश की प्रमाणित सत्य प्रतिलिपी।	रेल्वे विभाग द्वारा उल्लंघन हेतु कार्य स्वीकृति देने वाले अधिकारी/कर्मचारी का नाम निम्नानुसार बताया गया :- 1.- सचिन गनेर (तत्कालिन वरिष्ठ मंडल अभियंता, उत्तर, नागपुर)
4	कार्य क्रियान्वीत करने वाले अधिकारी/कर्मचारी का नाम।	रेल्वे विभाग द्वारा कार्य क्रियान्वीत करने वाले अधिकारी / कर्मचारी का नाम निम्नानुसार बताया गया :- 1.- रजनीश कुमार (तत्कालिन सहायक मंडल अभियंता, बैतूल)
5	विभाग द्वारा की गई कार्यवाही एवं अभिलेखों की सत्य प्रतिलिपी।	1.- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भोपाल के पत्र दिनांक 19.02.2025 (प्रदर्श-1) से प्रकरण में ली गई आपत्ती के बिंदु क्रमांक - 4 के परिपालन में वनमंडल कार्यालय के आदेश क्रमांक/ माचि./ 2025 / 02 दिनांक 11.04.2025 (प्रदर्श-2) से प्रश्नाधीन स्थल का मौका स्थल निरीक्षण कर जांच कर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु समिति का गठन किया गया। 2.- गठित समिति के साथ दिनांक 03.05:2025 को अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा रेल्वे विभाग के प्रतिनिधी वरिष्ठ खंड अभियंता बैतूल के साथ रहकर उक्त क्षेत्र का निरीक्षण किया गया। मौका पंचनामा की छायाप्रति संलग्न है (प्रदर्श-3)। निरीक्षण के दौरान पुरानी रेल्वे लाईन सहित पट्टी के दोनो ओर Subway तथा दोनो पहुंच मार्ग की चौड़ाई 58 मीटर तथा Subway के दोनो तरफ पहुंच मार्ग की चौड़ाई पुरानी रेल्वे पट्टी सहित 57.9 मीटर तथा रेल्वे पट्टी के पूर्व दिशा में पहुंच मार्ग के प्रारम्भिक में 4 मीटर वनक्षेत्र के अंदर तथा दूसरी दूसरी तरफ पश्चिम दिशा में पहुंच मार्ग में प्रारंभ में 6.4 मीटर वनक्षेत्र में अंदर निर्माण होना पाया गया।


- 3.- उपरोक्तानुसार वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुये ROW क्षेत्र के अंतर्गत नक्शे एवं भूमि के स्वामित्व से संबंधित वैधानिक दस्तावेज वनमंडल कार्यालय को प्रस्तुत करने हेतु कार्यालयीन पत्र क्रमांक / माचि./ 2025 / 3071 दिनांक 07.05.2025 (प्रदर्श-4) से उप मुख्य अभियंता, (निर्माण) सेंट्रल रेल्वे नागपुर डिवीजन बैतूल को लेख किया गया।
- 4.- आवेदक विभाग के पत्र दिनांक 08.05.2025 (प्रदर्श-5) से प्रस्तुत प्रतिवेदन अनुसार कोई वैधानिक अभिलेख वनमंडल कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराये गये एवं लेख किया गया कि Open Line Organization of the Railway इस संबंध में पृथक से अवगत करायेगे। तदनुसार कार्यालयीन पत्र क्रमांक / माचि. / 2025 / 3362 दिनांक 20.05.2025 से प्रतिवेदन अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) म.प्र. भोपाल को प्रेषित किया गया (प्रदर्श-6)।
- 5.- आवेदक विभाग के पत्र क्रमांक / ET-NGP/3rd Line/Forest date 30.07.2025 (प्रदर्श-7) से जानकारी प्रस्तुत की गई है, जिसमें रेल्वे विभाग द्वारा सबसे निर्माण के दौरान अंजाने में उल्लंघन होना लेख किया गया है और इस संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं है यह भी रेल्वे विभाग द्वारा लेख किया गया है। रेल्वे विभाग से उक्त प्राप्त प्रतिवेदन कार्यालयीन पत्र क्रमांक/1344 दिनांक 13.08.2025 से अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) म.प्र. भोपाल को प्रेषित किया गया (प्रदर्श-8)।
- 6.- रेल्वे विभाग के प्रदर्श-7 में उल्लेखित पत्र के तारतम्य में ROW क्षेत्र के नक्शे एवं भूमि के स्वामित्व से संबंधित वैधानिक दस्तावेज वनमंडल कार्यालय में उपलब्ध कराने हेतु कार्यालयीन पत्र क्रमांक/6760 दिनांक 14.10.2025 से मुख्य अभियंता, (निर्माण) सेंट्रल रेल्वे नागपुर डिवीजन बैतूल को लेख किया गया (प्रदर्श-9)।
- 7.- रेल्वे विभाग से दिनांक 17.12.2025 को वनमंडल कार्यालय में उपस्थित कार्यपालन यंत्री (निर्माण) बैतूल द्वारा वर्ष - 1986 का ROW मानचित्र प्रस्तुत किया गया (प्रदर्श-10)। उक्त मानचित्र का अवलोकन किया गया। डाउन ट्रेक साईड में सबसे निर्माण कार्य ROW में होना पाया गया तथा अप ट्रेक साईड में 3 मीटर चौड़ाई एवं 122 मीटर लंबाई में अनाधिकृत रूप से वनभूमि पर मार्ग निर्माण होना पाया गया।
- 8.- उपरोक्तानुसार वनभूमि पर कुल 0.0366 हे. में रेल्वे विभाग द्वारा मार्ग निर्माण कराया जाना पाया गया। उक्त प्रभावित वनभूमि 0.0366 हे. में नेट प्रजेन्ट वेल्यू की गणना किये जाने पर राशि रुपये 44966/- होती है। इसी प्रकार प्रभावित वनभूमि 0.0366 हे. में उल्लंघन के फलस्वरूप 10 गूना दांडिक वृक्षारोपण हेतु 0.366 हे. रकबा होता है।

6	उल्लंघन अवधि के दौरान वनरक्षक से वनमंडलाधिकारी स्तर तक के नाम एवं पदस्थापना अवधि।	<p>उल्लंघन अवधि के दौरान वनरक्षक से वनमंडलाधिकारी स्तर तक के नाम एवं पदस्थापना अवधि निम्नानुसार है :-</p> <table border="1" data-bbox="630 369 1460 705"> <thead> <tr> <th>क्र.</th> <th>कर्मचारी/अधिकारी का नाम</th> <th>पदस्थिति अवधि</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>श्री रामकिशन गुर्जर, व.पा., बी.गा. धार</td> <td>21.09.21 से 11.12.23</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>श्री राजेन्द्र तिवारी, व.पा., प.स. धार</td> <td>16.11.21 से 21.07.25</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>श्री डी.पी. गोस्वामी, व.क्षे., प.अ. भौरा (सा.)</td> <td>30.09.19 से 19.11.22</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>श्री एस.एस. राजपुत, व.क्षे., प.अ. भौरा (सा.)</td> <td>19.11.22 से 06.12.23</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>श्री ए.के. हनवते, उपवनमंडलाधिकारी, शाहपुर (सा.)</td> <td>13.08.21 से 30.06.21</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>श्री राकेश कुमार डामोर, वनमंडलाधिकारी, उत्तर बैतूल (सा.) वनमंडल</td> <td>04.04.22 से 21.06.23</td> </tr> </tbody> </table>	क्र.	कर्मचारी/अधिकारी का नाम	पदस्थिति अवधि	1	श्री रामकिशन गुर्जर, व.पा., बी.गा. धार	21.09.21 से 11.12.23	2	श्री राजेन्द्र तिवारी, व.पा., प.स. धार	16.11.21 से 21.07.25	3	श्री डी.पी. गोस्वामी, व.क्षे., प.अ. भौरा (सा.)	30.09.19 से 19.11.22	4	श्री एस.एस. राजपुत, व.क्षे., प.अ. भौरा (सा.)	19.11.22 से 06.12.23	5	श्री ए.के. हनवते, उपवनमंडलाधिकारी, शाहपुर (सा.)	13.08.21 से 30.06.21	6	श्री राकेश कुमार डामोर, वनमंडलाधिकारी, उत्तर बैतूल (सा.) वनमंडल	04.04.22 से 21.06.23
क्र.	कर्मचारी/अधिकारी का नाम	पदस्थिति अवधि																					
1	श्री रामकिशन गुर्जर, व.पा., बी.गा. धार	21.09.21 से 11.12.23																					
2	श्री राजेन्द्र तिवारी, व.पा., प.स. धार	16.11.21 से 21.07.25																					
3	श्री डी.पी. गोस्वामी, व.क्षे., प.अ. भौरा (सा.)	30.09.19 से 19.11.22																					
4	श्री एस.एस. राजपुत, व.क्षे., प.अ. भौरा (सा.)	19.11.22 से 06.12.23																					
5	श्री ए.के. हनवते, उपवनमंडलाधिकारी, शाहपुर (सा.)	13.08.21 से 30.06.21																					
6	श्री राकेश कुमार डामोर, वनमंडलाधिकारी, उत्तर बैतूल (सा.) वनमंडल	04.04.22 से 21.06.23																					
7	प्रकरण की संक्षिप्त टीप	<p>रेल्वे विभाग से दिनांक 17.12.2025 को वनमंडल कार्यालय में उपस्थित कार्यपालन यंत्री (निर्माण) बैतूल द्वारा वर्ष - 1986 का ROW मानचित्र प्रस्तुत किया गया। उक्त मानचित्र का अवलोकन किया गया। डाउन ट्रेक साईड में सबसे निर्माण कार्य ROW में होना पाया गया तथा अप ट्रेक साईड में 3 मीटर चौड़ाई एवं 122 मीटर लंबाई में अनाधिकृत रूप से वनभूमि पर मार्ग निर्माण होना पाया गया।</p> <p>उपरोक्तानुसार वनभूमि पर कुल 0.0366 हे. में रेल्वे विभाग द्वारा मार्ग निर्माण कराया जाना पाया गया। उक्त प्रभावित वनभूमि 0.0366 हे. में नेट प्रजेन्ट वेल्यू की गणना किये जाने पर राशि रुपये 44966/- होती है। इसी प्रकार प्रभावित वनभूमि 0.0366 हे. में उल्लंघन के फलस्वरूप 10 गुना दांडिक वृक्षारोपण हेतु 0.366 हे. रकबा होता है।</p>																					
8	वन संरक्षण अधिनियम के उल्लंघन के परिपेक्ष्य में क्षेत्र में हुआ कार्य एवं कार्य की वर्तमान स्थिति।	<p>रेल्वे विभाग से दिनांक 17.12.2025 को वनमंडल कार्यालय में उपस्थित कार्यपालन यंत्री (निर्माण) बैतूल द्वारा वर्ष - 1986 का ROW मानचित्र प्रस्तुत किया गया। उक्त मानचित्र का अवलोकन किया गया। डाउन ट्रेक साईड में सबसे निर्माण कार्य ROW में होना पाया गया तथा अप ट्रेक साईड में 3 मीटर चौड़ाई एवं 122 मीटर लंबाई में अनाधिकृत रूप से वनभूमि पर मार्ग निर्माण होना पाया गया।</p>																					

संलग्न :-

प्रदर्श - 01 से 10


कार्यपालन यंत्री
(निर्माण) मध्य रेल, बैतूल - II


वनमंडलाधिकारी
उत्तर बैतूल (सा.) वनमंडल

५२१-१

E office-0107/2025

431528



सत्यमेव जयते

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE

क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल / REGIONAL OFFICE, BHOPAL

Kendriya Paryavaran Bhavan, Link Road No.3, E-5, Ravi Shankar Nagar,

BHOPAL - 462016 (M.P.)

TEL: 0755-2466525 E-mail: rowz.bpl-mef@nic.in



क्रमांक: 6-एमपीआर 027/2023-बीएचओ/
प्रति,

दिनांक : /02/2025

प्रधान सचिव (वन)
मध्यप्रदेश शासन,
वल्लभ भवन, भोपाल (मध्यप्रदेश)।

विषय: बैतूल एवं होशंगाबाद (नर्मदापुरम) जिले में जुझारपुर से ढोडरामोहार के मध्य रेल्वे लाईन के निर्माण हेतु 8.0357 हेक्टेयर आरक्षित एवं संरक्षित वनभूमि (1.2496 हे. उत्तर बैतूल एवं 6.7861 हे. होशंगाबाद वनमण्डल) उप मुख्य अभियंता (निर्माण), मध्य रेल्वे नागपुर को उपयोग पर देने बाबत (FP/MP/RAIL/150074/2021)।

संदर्भ: 1. नोडल अधिकारी, मध्यप्रदेश का पत्रांक एफ-5/1211/2023/10-11/274 दिनांक 21/01/2025.

2. आर.ई.सी. कार्यवृत्त क्र. 6-REC10/2014-BHO/Part-III/354 दिनांक 13/02/2025.

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्रों के संबंध में अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि प्रस्ताव से संबंधित आर.ई.सी. बैठक दिनांक 30/01/2025 को आयोजित की गयी। बैठक में लिये गये निर्णय एवं कार्यवृत्त दिनांक 13/02/2025 (संदर्भित पत्र-2) अनुसार अन्य वांछित जानकारी/स्पष्टीकरण की आवश्यकता है जो कि निम्नलिखित है:-

1. The State Govt. has informed that the patches in forest areas which were not included in the proposed diversion area are of the Railway ownership but no documentary evidences have been produced before the committees. The User Agency shall submit documentary evidence which proves that the said patches are under Railway ownership and have been in their possession since before 1989, when Indian Railway Act came into force.
2. The User Agency shall submit the extent of area proposed to the NBWL and status of Wildlife Clearance.
3. The User Agency shall submit NoCs from NHAI for the places where it is crossing the railway alignment through RoBs.
4. In the DSS analysis, it is observed that the coordinate 22° 21' 19.83"N, 77° 50' 49"E, subway has been recently constructed which is in the proposed diversion area hence the concerned DFO shall inspect and submit a detailed report in the matter.

Signed by Yogesh Gairola

Date: 19-02-2025 09:41:06

(डॉ. योगेश गैरोला)

तकनीकी अधिकारी (वानिकी)

प्रतिलिपि:

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) एवं नोडल अधिकारी, वन विभाग, वन भवन, तुलसीनगर, भोपाल।

वनमंडलाधिकारी उत्तर बैतूल (सा0) वनमंडल द्वारा पारित आदेश

07141-234204(कार्यालय), E-Mail -- dfotnbetul@mp.gov.in

आदेश क्रमांक/मा0चि0/2025/ 02

बैतूल, दिनांक/ 11-4-25

बैतूल एवं होशंगाबाद (नर्मदापुरम) जिले में जुझारपुर से ढोढरामोहार के मध्य तीसरी रेल्वे लाईन के निर्माण हेतु उत्तर बैतूल वनमंडल की 1.2496 हे. वनभूमि एवं होशंगाबाद वनमंडल की 6.7861 हे. कुल 8.0357 हे. वनभूमि सेन्ट्रल रेल्वे नागपुर डिवीजन बैतूल को उपयोग पर देने के संबंध में आनलाईन प्राप्त प्रकरण क्रमांक/FP/MP/RAIL/150074/2021 में भारत सरकार के पत्र दिनांक 19.02.2025 से बिंदु क्रमांक - 4 के संबंध में वांछित जानकारी / स्पष्टीकरण चाहा गया है:-

बिंदु क्रमांक :- 4 - In the DSS analysis, it is observed that the coordinate N-22° 21' 19.83" E-77° 50' 49", Subway has been recently constructed which is in the proposed diversion area hence the concerned DFO shall inspect and submit a detailed report in the matter.

उपरोक्त बिंदु में उल्लेखित जी.पी.एस. रीडिंग का मौका स्थल निरीक्षण कर Subway का निर्माण आवेदित वन क्षेत्र में हुआ है अथवा रेल्वे लेण्ड में इस संबंध में जांच कर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने हेतु निम्नानुसार वनमंडल स्तरीय समिति गठित की जाती है:-

- 1.- उपवनमंडलाधिकारी शाहपुर (सा.) - अध्यक्ष
- 2.- परिक्षेत्र अधिकारी भौरा (सा.) - सदस्य
- 3.- परिक्षेत्र सहायक धार, परिक्षेत्र भौरा (सा.) - सदस्य
- 4.- बीट गार्ड धार, परिक्षेत्र भौरा (सा.) - सदस्य

अतः उक्त गठित समिति भारत सरकार के पत्र दिनांक 19.02.2025 के बिंदु क्रमांक - 4 में उल्लेखित अनुसार मौका स्थल निरीक्षण कर जांच कर विस्तृत रिपोर्ट 02 दिवस के भीतर वनमंडल कार्यालय को प्रस्तुत करेंगी।

(नवीन गर्ग)

भा.व.से.

वनमण्डलाधिकारी

उत्तर बैतूल (सा0) वनमंडल

बैतूल, दिनांक/ 11/4/25

पृ.क्रं./मा.चि./2025/ 2596

- प्रतिलिपि :-
- 1.- उपवनमंडलाधिकारी शाहपुर (सा.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
 - 2.- परिक्षेत्र अधिकारी भौरा (सा.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
 - 3.- परिक्षेत्र सहायक/बीटगार्ड धार, परिक्षेत्र भौरा, उत्तर बैतूल (सा.) वनमंडल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


वनमंडलाधिकारी

उत्तर बैतूल (सा0) वनमंडल


हम पंच गण दस्तावेज माने वाले इस काल की तटदीक बर्तन है कि आज दिनांक 01/01/2025 को भी मान वन भण्डाल अधिकारी मध्ये उत्तर वेंडल (सा) शिबप वन भण्डाल अधिकारी : शाहपुर (सा) की वन परि क्षेत्र अधिकारी मोस (सा) प लधाए हेंच परिष्क रेकॉर्ड अभियन्ता वेंडल सत्य 28 मठ वेंडल के क्षेत्रगांवा, (नर्मदापुरम) पुष्पापुर के क्षेत्रगांवेर दिनांक 01/01/2025 को मोस लखना संयुक्त निरीक्षण किया गया मोस लखना उर्दलखिन जरीली हेंच अ. 22' 21' 13' 85" E 77' 56' 49" पर पुरुष नर लखल निरीक्षण किया कुयती रेकॉर्ड लाइंग लहित पट्टी के क्षेत्र कोर subby- तथा दोनो पट्टी भागी की चौड़ाई 58 मी तथा subby से दोनो पर फ पट्टी भागी की चौड़ाई कुयती रेकॉर्ड पट्टी लहित 57.9 मीटर तथा रेकॉर्ड पट्टी के पूर्व दिशा के पट्टी भागी के जंर मिंठ से 4 मीटर वन क्षेत्र के कोर तथा इसी तरफ पट्टी भागी के पूर्व दिशा के पट्टी भागी के जंर से 6.4 मीटर वन क्षेत्र के कोर निर्माव देना पाया गया


पंचनामा निर्या पठकर कुमाया लही पाया गया
 पंचनामा के ए लोहर
 पंचनामा में दोनो निर्या गण



ठाइट गेज तथा वाक्य के
 वाटर इंटेनिंग वाल मे Timino
 curve के लिए आवश्यक पत्र
Amrasthan
 विनय कुमार श्रीवास्तव
 SSE (M) BZU


 3-5-25


 पंचनामा


 विजय किशोरकर
 S.S.E (G). C. By ACP/MGP


 नवीन गज
 DFO N Betul


 600 Shahpur

 श्रीवास्तव
 संलय 21/03

कार्यालय वनमंडलाधिकारी उत्तर बैतूल (सा0) वनमंडल

07141-234204(कार्यालय), E-Mail -- dfotnbetul@mp.gov.in

क्रमांक/मा0चि0/2025 / 367)

बैतूल, दिनांक/ 7-5-25

प्रति,

उप मुख्य अभियंता,
(निर्माण) सेंट्रल रेल्वे नागपुर डिवीजन,
बैतूल

विषय :- बैतूल एवं होशंगाबाद (नर्मदापुरम) जिले में जुझारपुर से ढोढरामोहार के मध्य तीसरी रेल्वे लाईन के निर्माण हेतु वनमंडल की 1.2496 हे. वनभूमि एवं होशंगाबाद वनमंडल की 6.7861 हे. कुल 8.0357 हे. वनभूमि सेंट्रल रेल्वे नागपुर डिवीजन बैतूल को उपयोग पर देने बाबत । प्रकरण क्रमांक / FP/MP/RAIL/150074/2021

संदर्भ :- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) म.प्र. भोपाल का पत्र क्रमांक / एफ- 5/1211/ई- 0107/2025 दिनांक 23.02.2025

--00--

विषयांतर्गत लेख है कि अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) म.प्र. भोपाल संदर्भित पत्र द्वारा संलग्न भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल के पत्र क्रमांक / 6- एमपीआर 027 / 2023 – बीएचओ दिनांक 19.02.2025 में उल्लेखित बिंदु क्रमांक – 4 की जानकारी चाही गई थी ।

बिंदु क्रमांक – 4 में उल्लेखित जी.पी.एस. रीडिंग का मौका स्थल निरीक्षण हेतु वनमंडल कार्यालय के आदेश क्रमांक / माचि./ 2025/02 दिनांक 11.04.2025 से उपवनमंडलाधिकारी शाहपुर (सा.) को अध्यक्ष नियुक्त करते हुये 03 सदस्यी समिति का गठन किया गया ।

दिनांक 03.05.2025 को मेरे द्वारा गठित समिति के साथ आपके विभाग के प्रतिनिधी वरिष्ठ खण्ड अभियंता बैतूल के साथ रहकर उक्त क्षेत्र का निरीक्षण किया गया, निरीक्षण के दौरान " पुरानी रेल्वे लाईन सहित पट्टी के दोनो ओर Subway तथा दोनो पहुंच मार्ग की चौड़ाई 58 मीटर तथा Subway के दोनो तरफ पहुंच मार्ग की चौड़ाई पुरानी रेल्वे पट्टी सहित 57.9 मीटर तथा रेल्वे पट्टी के पूर्व दिशा में पहुंच मार्ग के प्रारंभिक में 4 मीटर वनक्षेत्र के अंदर तथा दूसरी दूसरी तरफ पश्चिम दिशा में पहुंच मार्ग में प्रारंभ में 6.4 मीटर वनक्षेत्र में अंदर निर्माण होना पाया गया ।" जो वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन परिलक्षित होता है ।

निरीक्षण के दौरान आपके प्रतिनिधी द्वारा निर्माण रेल्वे विभाग के ROW अंतर्गत होना बताया गया परन्तु ROW के संबंध में कोई वैधानिक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराये गये है, ROW कब निर्मित हुआ है इसके प्रमाणीकरण के संबंध में कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये है, साथ ही आपके द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव में संलग्न केएमएल फाईल में ROW का उल्लेख नहीं किया गया है, केवल आवेदित क्षेत्र का प्रस्ताव दिया गया है ।

अतः आप वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुये ROW क्षेत्र के अंतर्गत नक्शे एवं भूमि के स्वामित्व से संबंधित वैधानिक दस्तावेज वनमंडल कार्यालय को 02 दिवस में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(नवीन गर्ग)

भा.व.से.

वनमण्डलाधिकारी

उत्तर बैतूल (सा0) वनमंडल

बैतूल/दिनांक/ 7-5-25

पृ.क्रं./मा.चि./2025/ 3072

प्रतिलिपि :- 1- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।

2- वन संरक्षक बैतूल वृत्त बैतूल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सम्प्रेषित।

वनमंडलाधिकारी

उत्तर बैतूल (सा0) वनमंडल

पृष्ठ-5

09/05 Time 17:37

Central Railway



No.ET-NGP/3rd LINE/FOREST---

Office of the
Deputy Chief Engineer Const
Betul @ Nagpur
Email: dycecbzu@gmail.com
Dt: 08/05/2025

DM
19/5/25


To,
DFO North Betul

Sub: Diversion of 8.0357 Ha (1.2496 hect. DFO Betul North and 6.7861 hect. DFO Narmadapuram) forest land for construction of 3rd Railway line for the section, Itarsi-Nagpur Railway Line between Jujharpur to Dodramohar Proposal No. FP/MP/RAIL/150074/2021).

- Ref: 1) क्रमांक: मा0चि0/2025/3071 dt.07/05/2025
2) APCCF Office letter No. F-5/1211/E-0107/2025/23-02-2025.
3) This Office letter No. No.ET-NGP/3rd LINE/FOREST dt. 21/03/2025.

In connection with the above subject and the above-referenced, the remarks are as follows:

- 1. Regarding the Violation of the Forest (Conservation) Act, 1980:**
The remarks pertain to the work already carried out by the Open Line Organization, Nagpur. The issue has been conveyed to the same organization, and their remarks will be submitted at the earliest.
- 2. Regarding the Construction Already Done:**
The status remains the same as mentioned above, and the remarks from the above office will be furnished at the earliest.
- 3. Regarding Submission of Legal Documents Related to ROW:**
It is to state that, as per the above-referred letter no. 3, the verified land plans, jointly prepared with the Revenue Department, were submitted to the office of the APCCF (Land Management), Van Bhavan, Bhopal, on 22/05/2024. (Xerox copy is attached).
- 4. Regarding Submission of KML File Showing ROW:**
It is to state that, as per the above-referred letter no. 3, the EDS was closed on 26/03/2025. The option to add additional documents (KML of ROW for the project) was not available. However, the option was open for the other diversion proposal no. 419973/2023. The complete and required KML file, combined for all three proposed diversion proposals on the Parivesh portal, has been attached on 21/04/2025 for ready reference. The same will be uploaded for proposal no. 150074/2021 as and when the option to add documents becomes available.
- 5. Request for Immediate Conveyance of FCA Violation Explanation:**
It is kindly requested that the issue of the violation of the Forest (Conservation) Act, 1980, be conveyed to the Open Line Organization of the Railways. The explanation received will be conveyed immediately.


(Sujit Kumar Singh)
Dy. CE (Const) Betul
@Nagpur



Central Railway

No ET-NGP/3rd LINE/FOREST-0

Office of the
Dy. Chief Engineer (Construction)
Betul @ Nagpur
A/n. Chhabhata, Nagpur-444003
Email - dycebzu@gmail.com

Date: 22.05.2024

To,
APCCF (Land Management)
Van Bhavan Bhopal

Sub. Diversion of 8.0357 Ha (1.2496 hect. DFO Betul North and 6.7861 hect. DFO Narmadapuram) forest land for construction of 3rd Railway line for the section of Itarsi-Nagpur Railway Line between Jujharpur to Dodramohar Proposal No. FP/MP/RAIL/150074/2021)

Ref: 1. Your office letter no /म.स.च. /4270Narmadapuramdt.06/05/24

.....
In connection with above subject and reference letter regarding item no. 1, the hard copies of land plans showing Railways own land and possession of it is being submitted to establish the fact that construction of both the existing Railway lines have been done in the Railway's ROW which was diverted before Implementation of FCA i.e year 1980.

Herewith it is stated that the submitted details are self explanatory showing the existing line constructed (during 1919 & 1986) on railways owned land within Railways right of way.

This is for your kind perusal and further necessary action please.


DA: 22 nos. of land plan drawings.

25-

25 nosed Land plan

Digitally signed by
SUJIT KUMAR SINGH
Date: 2024.05.22
16:24:06 +05'30'

Dy.CE(Const) Betul @ Nagpur



कार्यालय वनमंडलाधिकारी उत्तर बैतूल (सा0) वनमंडल

07141-234204(कार्यालय), E-Mail -- dfotnbetul@mp.gov.in

क्रमांक/मा0चि0/2025 / 3362

बैतूल, दिनांक/ 20/05/25

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,

(भू- प्रबंध) म.प्र. भोपाल

विषय :- बैतूल एवं होशंगाबाद (नर्मदापुरम) जिले में जुझारपुर से ढोढरामोहार के मध्य तीसरी रेल्वे लाईन के निर्माण हेतु वनमंडल की 1.2496 हे. वनभूमि एवं होशंगाबाद वनमंडल की 6.7861 हे. कुल 8.0357 हे. वनभूमि सेन्ट्रल रेल्वे नागपुर डिवीजन बैतूल को उपयोग पर देने बाबत । प्रकरण क्रमांक / FP/MP/RAIL/150074/2021

संदर्भ :- 1.- आपका पत्र क्रमांक / एफ-5/1211/ई-0107/2025 दिनांक 23.02.2025
2.- उप मुख्य अभियंता, (निर्माण) सेन्ट्रल रेल्वे नागपुर डिवीजन, बैतूल का पत्र क्रमांक / ET-NGP/3rd Line/ Forest Date 08.05.2025

--00--

विषयांतर्गत निवेदन है कि आपके संदर्भित पत्र द्वारा संलग्न भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल के पत्र क्रमांक / 6-एमपीआर 027 / 2023 – बीएचओ दिनांक 19.02.2025 में उल्लेखित बिंदु क्रमांक – 4 की जानकारी चाही गई थी ।

बिंदु क्रमांक – 4 में उल्लेखित जी.पी.एस. रीडिंग का मौका स्थल निरीक्षण हेतु वनमंडल कार्यालय के आदेश क्रमांक / माचि./ 2025/02 दिनांक 11.04.2025 से उपवनमंडलाधिकारी शाहपुर (सा.) को अध्यक्ष नियुक्त करते हुये 03 सदस्यी समिति का गठन किया गया ।

दिनांक 03.05.2025 को मेरे द्वारा गठित समिति के साथ आपके विभाग के प्रतिनिधी वरिष्ठ खण्ड अभियंता बैतूल के साथ रहकर उक्त क्षेत्र का निरीक्षण किया गया, निरीक्षण के दौरान " पुरानी रेल्वे लाईन सहित पट्टी के दोनो ओर Subway तथा दोनो पहुंच मार्ग की चौड़ाई 58 मीटर तथा Subway के दोनो तरफ पहुंच मार्ग की चौड़ाई पुरानी रेल्वे पट्टी सहित 57.9 मीटर तथा रेल्वे पट्टी के पूर्व दिशा में पहुंच मार्ग के प्रारंभिक में 4 मीटर वनक्षेत्र के अंदर तथा दूसरी तरफ पश्चिम दिशा में पहुंच मार्ग में प्रारंभ में 6.4 मीटर वनक्षेत्र में अंदर निर्माण होना पाया गया ।" मौके के पंचनामा की छायाप्रति एवं नजरिया नक्शा संलग्न है ।

उपरोक्त निरीक्षण के दौरान रेल्वे विभाग के उपस्थित प्रतिनिधी द्वारा उक्त निर्माण कार्य रेल्वे विभाग के ROW के अंतर्गत होना बताया गया, किन्तु इस संबंध में मौके पर कोई वैधानिक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराये गये । तदनुसार इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/ माचि./ 2025/ 3071 दिनांक 07.05.2025 से आवेदक विभाग को वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन के संबंध में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुये ROW क्षेत्र के अंतर्गत नक्शे एवं भूमि के स्वामित्व से संबंधित वैधानिक दस्तावेज वनमंडल कार्यालय को 02 दिवस में उपलब्ध कराये जाने हेतु लेख किया गया । आवेदक विभाग के संदर्भित पत्र दिनांक 08.05.2025 से प्रस्तुत प्रतिवेदन अनुसार कोई वैधानिक

अभिलेख वनमंडल कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराये गये हैं एवं लेख किया गया है कि Open Line Organization of the Railway इस संबंध में पृथक से अवगत करायेगे।

वनमंडल कार्यालय में उपलब्ध अभिलेख (आर.एफ. एरिया रजिस्टर) में आरक्षित वनखंड 17 सालीमेट में निम्नानुसार टीप उल्लेखित है:-

"Area covered by the Itarsi-Betul Public Works Department road and Itarsi- Napur section of the G.I.P. Railway line passing through this block was disforested under Notification No. 1324, dated the 15th January 1907, and No. 12, dated the 8th January 1910, respectively, and is, therefore, not included in the figure."

उपरोक्त टीप के अतिरिक्त आर.एफ. एरिया रजिस्टर 24.180 एकड़ (9.783 हे.) रकबा सेन्ट्रल रेल्वे हेतु निर्वनीकृत भूमि होना उल्लेखित है। आर.एफ. एरिया रजिस्टर में संलग्न मानचित्र (स्केल 1 इंच = 2 Mile) में निर्वनीकृत रेल्वे लाईन को नहीं दर्शाया गया है।

उपरोक्तानुसार वनमंडल के अंतर्गत उपलब्ध अभिलेखों से रेल्वे लाईन के ROW की स्थिति स्पष्ट नहीं होती है।

प्रतिवेदन सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

(नवीन गर्ग)

भा.व.से.

वनमंडलाधिकारी

उत्तर बैतूल (सा0) वनमंडल

बैतूल दिनांक/ 20/05/25

पृ.क्र./मा.चि./2025/ 3363


प्रतिलिपि :- वन संरक्षक बैतूल वृत्त बैतूल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सम्प्रेषित।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

वनमंडलाधिकारी

उत्तर बैतूल (सा0) वनमंडल

नजरिया नक्शा



पंचनामा


ख्यात धार कीट न्याय 157


दिनांक


हम पंच गण दस्तावेज माने वाले इस बात की तटवीह अर्थात् कि आप दिनांक 01/01/2025 को भी मान वन भण्डल अधिकारी मध्ये उत्तर वेस्ट (सा) वीठय वन भण्डल अधिकारी - शाहपुर (सा) वी वन परिषेड अधिकारी मौस (सा) का संधार एव परिलठ रेकॉर्ड अभियन्ता कैबूल सत्य 22 मट कैबूल के क्षेत्रगांव 15 (नर्मदापुरम) पुष्पापुर के गोदयगोदर दिनांक 01/01/2025 को मौस स्थले का समुस्त भिरीक्षण किया गया जेस स्थले 3 कैलकुलर जेसी एव अ. 22° 21' 13" 85" E 77° 56' 49" पर पुरुष नर स्थले भिरीक्षण किया पुसनी रेलेक लाइन सहित पट्टी के दोनों ओर subby तथा दोनों पट्टय भागी की चौड़ाई 58 मी तथा subby से दोनों पट्टय पट्टय भागी की चौड़ाई पुसनी रेलेक सहित 57.9 मीटर तथा रेलेक पट्टी के पूर्व दिशा के पट्टय भागी के अंतरांतर से 4 मी वन चेड के कोटर तथा इसी तरफ पट्टियन दिशा के पट्टय भागी के अंतरांतर से 6.4 मीटर वन चेड के कोटर निर्माक होना पाया गया


पंचनामा किया परकह हुआया लही पाया गया
 पंचगण के ह लोख
 पंचनामा भरे साथ निराला गया


टाइट गेज तथा वाक्य के
 सह स्ट्रेनिंगवाल मे Timin
 care के लिए आवश्यक पाग
 Anwar
 विनय कुमार श्रीवास्तव
 SSE (M) BZU



 Anwar
 3-5-25


 पंच


 विनय कुमार श्रीवास्तव
 S.S.E (G) - C By ACP/MGP


 न
 नवीन गण
 DFO N Betul


 Usmy
 SDO Shahpur


 Sanjay
 श्रीवास्तव
 21/01/2025

521-7

ESS

Central Railway



No.ET-NGP/3rd LINE/FOREST---

Office of the
Deputy Chief Engineer Const.
Betul @ Nagpur
Dt: 30/07/2025

To,
DFO Narmadapuram

Sub: Diversion of 8.0357 Ha (1.2496 hect. DFO Betul North and 6.7861 hect. DFO Narmadapuram) forest land for construction of 3rd Railway line for the section, Itarsi-Nagpur Railway Line between Jujharpur to Dodramohar Proposal No. FP/ MP/ RAIL/150074/2021).

- Ref:** 1) APCCF Bhopal Letter No. एफ-5/1211/E-0107/2025 dated 16/07/2025.
2) This office Letter No. ET/NGP/3rd Line/WLC dated 13/05/2025.
3) This office Letter No. ET/NGP/3rd Line/Forest/--- dated 21/03/2025.
4) This office Letter No. ET/NGP/3rd Line/Forest/--- dated 08/05/2025.
5) DFO North Betul Letter No. मा.चि. /2025/3362 dated 20/05/2025.

In connection with the above subject the recent EDS raised by your office on 29/07/2025 for the point wise submission regarding the letter issued by Govt. of India 08/07/2025 and vide above Reference No. 1.

The point-wise remarks as under.

Point No. 1: - The area proposed for NBWL clearance for critical zone is total 287.64 hect. with breakup as 132.7 hect. for Tiger corridor no 1, 47.56 hect for Eco-Sensitive zone and 102.81 hect for Tiger corridor no 2 which is affecting the critical zone length of 9.76 km, 2.79 km and 4.792 km respectively along the 3rd and 4th line project (above ref. 03)

The Diversion of Forest land is proposed under 03 Nos of different proposals as 1st proposal for 8.0357 hect., 2nd proposal for 3.6122 hect and 3rd proposal for 21.3983 hect Forest area. In this matter, it is explained that the issue of need for Wildlife Clearance arose when 1st proposal scrutinized at Govt. of India Bhopal, but meanwhile Railway has applied 02 new proposals for the same 3rd Railway line project between Jujharpur, (Km 751.1) to Chichonda (Km 911.7) section of length 168.6 km. As two tiger corridors and one Eco-Sensitive Zone are falling within this section covering total length of 9.767km, 2.79km and 4.792km respectively and this total length of critical zone 17.35km is passing through the Railways ROW which is worked out as 287.64 hect.

As the 3rd and 4th line project is linear & continues and bifurcating the above mentioned critical zone of STR and MTR the Wildlife Clearance is mandatory for entire length of project that in 168.6km.

Hence in the light of above fact, in spite of going for Wildlife Clearance for each diversion proposal separately the total area for NBWL is proposed as 287.64 hect jointly for all the three diversion proposals (vide ref 2 as above).

Point No. 2: - Regarding the ownership of railway land within the forest area that has not been included in the diversion proposals, the certified land plan of Railways owned land were prepared and jointly duly got certified by concerned Revenue authorities during 2007-2009. For all the locations where the

[Handwritten signature]

Forest patches are falling in the Railways owned land, for all three diversion proposals, kindly observe the 25 Nos of xerox copies of these certified land plans, (as above ref 4 dt. 08/05/2024) which were submitted as a proof of Railways ownership (sample Xerox copy of land plan is attached for example).

The Railways land plans consist of varying width of ROW, are marked with proposed Diversion patches which are planned as per toe width required for proposed 3rd line construction and where the sufficient land width is available no diversion proposal made and hence tried to minimize the loss of Forest.

As per available information, for the complete section for which the diversion proposals are applied the Railways ROW which is submitted through above mentioned 25 Nos of xerox copies of land plans is acquired up to year 1919, that is during British Era and since then no further land diversion has been done for Railways for which diversion records can be submitted for your further reference.

The above issue with, as an example is self-explanatory by the caption quoted by DFO, North Betul (copied and pasted below) during the report for his DSS analysis vide Letter as above reference no 5.

“Area covered by the Itarsi-Betul Public Works Department road and Itarsi-Nagpur section of the G.I.P. Railway line passing through this block was disforested under Notification No. 1324, dated the 15th January, 1907, and No. 12, dated the 8th January 1910, respectively, and is, therefore, not included in the figure.”

The above mentioned notification No. 12, 8th January 1910 is clearly establishing the ownership of the Railway Department (which was at that time called Great Indian Peninsula Railway Company) over the said forest block area.

Point No. 3: - Regarding the violation of the Forest Conservation Act, 1980, for the construction of the subway, it is to state that the subway was constructed under the policy of eliminating existing level crossing gates, which are considered critical accident-prone zones for Railway traffic. Further, it is to convey that the existing road has been passing through the forest area for a long time, and in order to provide a diversion road as a subway, it is required to bend it at 90 degrees at four locations to accommodate it within the existing marginal Railway Right of Way (ROW).

However, these sharp bends at all four locations are accident-prone. To facilitate smooth traffic movement at these bends, it is standard practice to provide extra curvature. During this exercise, aimed at ensuring subway traffic safety, the boundary of the forest may have been unknowingly encroached upon, as there was no clear physical demarcation between forest and Railway land due to the presence of similar old vegetation and topography in the area.

As such the slight unknowing violation is observed while construction of the said subway and Railway has no further explanation regarding this issue.


This fact has been brought out during DFO North Betul visit on 03/05/2025 and accordingly Divisional authorities of Central Railway Maintenance Department have been informed.

Hence with the above compliances EDS has been closed for your further kind perusal please.

Da as above.

Copy to,

- 1) APCCF Bhopal land management for kind information please.
- 2) DFO North Betul for kind information please.


Dy. CE (Const.) Betul

कार्यालय वनमंडलाधिकारी उत्तर बैतूल (सा0) वनमंडल

07141-234204(कार्यालय), E-Mail -- dfotnbetul@mp.gov.in

क्रमांक/मा0चि0/2025/ 1344

बैतूल, दिनांक/ 13/08/2025

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
(भू-प्रबंध) म.प्र. भोपाल

विषय :-

बैतूल एवं होशंगाबाद (नर्मदापुरम) जिले में जुझारपुर से ढोढरामोहार के मध्य तीसरी रेल्वे लाईन के निर्माण हेतु वनमंडल की 1.2496 हे. वनभूमि एवं होशंगाबाद वनमंडल की 6.7861 हे. कुल 8.0357 हे. वनभूमि सेंट्रल रेल्वे नागपुर डिवीजन बैतूल को उपयोग पर देने बाबत। प्रकरण क्रमांक/FP/MP/RAIL/150074/2021

संदर्भ :-

- 1- भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल का पत्र क्रमांक/ 6 एमपीआर 027/2023 – बीएचओ दिनांक 08.07.2025
- 2- आपका पत्र क्रमांक/ एफ- 5/1211/ई-0107/2025 दिनांक 16.07.2025
- 3- मुख्य अभियंता (निर्माण) सेंट्रल रेल्वे नागपुर डिवीजन बैतूल के पत्र क्रमांक/ ET-NGP/3rd Line/Forest date 30.07.2025
- 4- इस कार्यालय का पत्र क्रमांक/ माचि./2025/3362 दिनांक 20.05.2025

--00--

विषयांतर्गत इस कार्यालय के संदर्भित पत्र के तारतम्य में निवेदन है कि भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भोपाल के पत्र दिनांक 08.07.2025 के बिंदु क्रमांक – 3 के संबंध में मुख्य अभियंता (निर्माण) सेंट्रल रेल्वे नागपुर डिवीजन बैतूल के संदर्भित पत्र दिनांक 30.07.2025 से जानकारी प्रस्तुत की गई है, जिसमें रेल्वे विभाग द्वारा सबसे निर्माण के दौरान अंजाने में उल्लंघन होना लेख किया गया है और इस संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं है यह भी रेल्वे विभाग द्वारा लेख किया गया है।

अतः रेल्वे विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन की छायाप्रति अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न सादर सम्प्रेषित है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

(नवीन गर्ग)

भा.व.से.

वनमंडलाधिकारी

उत्तर बैतूल (सा0) वनमंडल

बैतूल, दिनांक/ 13/08/2025

पृ.क्र./मा.चि./2025/ 1345

प्रतिलिपि :-

- 1- वन संरक्षक बैतूल वृत्त बैतूल की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
- 2- मुख्य अभियंता (निर्माण) सेंट्रल रेल्वे नागपुर डिवीजन बैतूल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

वनमंडलाधिकारी

उत्तर बैतूल (सा0) वनमंडल

कार्यालय वनमंडलाधिकारी उत्तर बैतूल (सा0) वनमंडल

07141-234204(कार्यालय), E-Mail -- dfotnbetul@mp.gov.in

क्रमांक/मा0चि0/2025 / 6760

बैतूल, दिनांक/14/10/2025

प्रति,

मुख्य अभियंता (निर्माण)
सेंट्रल रेल्वे नागपुर डिवीजन बैतूल

विषय :-

बैतूल एवं होशंगाबाद (नर्मदापुरम) जिले में जुझारपुर से ढोढरामोहार के मध्य तीसरी रेल्वे लाईन के निर्माण हेतु वनमंडल की 1.2496 हे. वनभूमि एवं होशंगाबाद वनमंडल की 6.7861 हे. कुल 8.0357 हे. वनभूमि सेंट्रल रेल्वे नागपुर डिवीजन बैतूल को उपयोग पर देने बाबत। प्रकरण क्रमांक/FP/MP/RAIL/150074/2021

संदर्भ :-


- 1- भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल का पत्र क्रमांक/ 6 एमपीआर 027/2023 — बीएचओ दिनांक 08.07.2025
- 2- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) म.प्र. का पत्र क्रमांक/ एफ- 5/1211/ ई- 0107/2025 दिनांक 16.07.2025
- 3- आपका पत्र क्रमांक/ ET-NGP/3rd Line/Forest date 30.07.2025

--00--

विषयांतर्गत इस कार्यालय के संदर्भित पत्र के तारतम्य में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भोपाल के पत्र दिनांक 08.07.2025 के बिंदु क्रमांक - 3 के संबंध में आपके संदर्भित पत्र दिनांक 30.07.2025 से जानकारी प्रस्तुत की गई है, जिसमें रेल्वे विभाग द्वारा सबवे निर्माण के दौरान अज्ञाने में उल्लंघन होना लेख किया गया है और इस संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं है यह भी आपके द्वारा लेख किया गया है।

पूर्व निरीक्षण के दौरान कोई वैधानिक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराये गये है, साथ ही आपके द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत प्रस्तुत प्रस्ताव में केएमएल फाईल में ROW का उल्लेख नहीं किया गया है, केवल आवेदित क्षेत्र का प्रस्ताव दिया गया है।

अतः आप ROW क्षेत्र के अंतर्गत नक्शे एवं भूमि के स्वामित्व से संबंधित वैधानिक दस्तावेज वनमंडल कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।



वनमंडलाधिकारी

उत्तर बैतूल (सा0) वनमंडल
बैतूल, दिनांक/14/10/2025

पृ.क्रं./मा.चि./2025 / 6761

प्रतिलिपि :-

- 1- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) म.प्र. की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।
- 2- वन संरक्षक बैतूल वृत्त बैतूल की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।


वनमंडलाधिकारी

उत्तर बैतूल (सा0) वनमंडल

Central Railway

No.ET-NGP/3rd LINE/FOREST---

Office of the
Deputy Chief Engineer Const.
Betul @ Nagpur
Email: dycecbzu@gmail.com
Dt: 17/12/2025

To,
The DFO,
Betul North (Territorial)

Sub: Diversion of 8.0357 Ha (1.2496 hect. DFO Betul North and 6.7861 hect. DFO Narmadapuram) forest land for construction of 3rd Railway line for the section, Itarsi-Nagpur Railway Line between Jujharpur to Dodramohar Proposal No. FP/ MP/ RAIL/150074/2021).

Ref: आपके कार्यालयीन पत्र क्रमांक माची/2025/3362, बैतूल, दिनांक 20/05/2025.

In connection with the above subject and in compliance with your office letter dated 20/05/2025, it is submitted that a Level Crossing Gate (LC Gate) of the Railway Department is located in Dhar Beat R.F. 157 at coordinates 22°21'19.85" North Latitude and 77°50'49" East Longitude, bearing LC Gate No. 235C-2-E. In connection with the said violation, the records/documents sought by your office from the Railway Department are enclosed herewith and are being forwarded for your kind perusal and necessary further action.


D.A. / Enclosure: Land records of the Railway Division.

M. J.
17/12/25
**Executive Engineer
construction Betul-II**

SCHEDULE FROM 71 TO 7025 TO 71.6.72

DISTRICT	VILLAGE	LAND TO BE ACQUIRED				
		AREA (ACRES)	AREA (SQ. YDS.)	AREA (SQ. FT.)	AREA (SQ. M.)	AREA (SQ. KM.)
REVENUE	OTHER	UNDEVELOPED	DEVELOPED	ROADS	CANALS	
IF	AGRICULTURE	INDUSTRIAL				
TOTAL						

From UP ML track center
ROW of Railway is 86' on up side track
and 100m on side track



CHIEF ENGINEER
CENTRAL RAILWAY
BOMBAY VT

LAND CONTROL OFFICE
CENTRAL RAILWAY
BOMBAY VT

SO. PAVIMENT, N. SIDE OF
LAND ACQUIRED
MIRAJ - DISTRICT
(K.M. 72.14 TO 71.18)

DISTRICT INSPECTOR OF
LAND REVENUE
MIRAJ - DISTRICT
(K.M. 72.14 TO 71.18)

CSE (SAREM)
REVENUE INSPECTOR
MIRAJ CIRCLE

CHIEF ENGINEER
CENTRAL RAILWAY
BOMBAY VT

Handwritten signature and date:
17/12/2005